



व्यापारियों द्वारा वाणिज्यिक उपयोग हेतु जैवसंसाधनों तक  
पहुंच एवं लाभ प्रभाजन की मानक प्रक्रिया  
**Standard Operating Procedure (SOP) for  
Access to Bio-resources for Commercial Use and Benefit  
Sharing for Traders**

**Madhya Pradesh State Biodiversity Board, Bhopal**  
**मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल**

Statutory and Autonomous Body of Forest Department, Govt. of M.P.  
(वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन की वैधानिक एवं स्वायत्त संस्था)

# व्यापारियों हेतु जैव संसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन की मानक प्रक्रिया

## Standard Operating Procedure (SOP) for Access and Benefit Sharing for traders

**पृष्ठभूमि** – जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 7 एवं 23 (ख) के अंतर्गत राज्य जैवविविधता बोर्ड को अपने क्षेत्राधिकार में भारतीय नागरिक/निगमित निकाय, संगम या संगठन द्वारा जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग को नियमन (regulate) करने का दायित्व दिया गया है। मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 के नियम 17 तथा जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014 के प्रावधान अनुसार जैव संसाधनों के व्यापारियों के साथ लाभ प्रभाजन हेतु मानक प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी-

### 1. व्यापारियों हेतु जैव संसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन की मानक प्रक्रिया

#### 1.1 सामान्य दिशा-निर्देश-

- (i) जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 7, 23 (ख) एवं 24 के प्रावधानों को लागू करने की दिशा में मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 17 (4) के प्रावधान अनुसार व मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना 38 दिनांक 21.09.2018 के अंतर्गत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-आर-1868-957-2018-दस-2 दिनांक 12.09.2018 द्वारा **समस्त क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी को मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का पदेन सहायक सदस्य सचिव घोषित किया गया है एवं अपने क्षेत्राधिकार में व्यापारियों (Traders) से लाभ प्रभाजन का अनुबंध करने हेतु अधिकृत किया गया है।**
- (ii) जैवसंसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन की गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये पृथक-पृथक की जावेगी। एवं इस अनुबंध की अवधि पांच वर्ष के लिये होगी।
- (iii) जैवसंसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन विनियम, 2014 के अनुसार व्यापारियों हेतु लाभ प्रभाजन की गणना जैव संसाधनों के क्रय मूल्य का 1% से 3% है। यह प्रतिशत बोर्ड के निर्णय अनुसार परिवर्तनशील होगा। वर्तमान में यह दर वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 1% है।
- (iv) मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 17 (2) के अनुसार प्ररूप-1 में प्राप्त पूर्ण आवेदन के निपटान हेतु समय-सीमा 3 माह है।
- (v) यदि व्यापारी जैवसंसाधन मध्यप्रदेश के बाहर से प्राप्त करता है तो संबंधित राज्य के जैवविविधता बोर्ड से किये गये लाभ प्रभाजन का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित जैव संसाधनों पर भी लाभ प्रभाजन राशि देय होगी।

**1.2 बोर्ड में प्राप्त आवेदन (फार्म-1) की जांच** – प्राप्त आवेदन निर्धारित प्ररूप 1 (फार्म-1) में है (फार्मेट-“1”) अथवा नहीं, मिलान करें। आवेदन के साथ निर्धारित फार्म फीस, सहपत्र में वर्णित दस्तावेज एवं जैव संसाधनों की जानकारी परिशिष्ट 1-टी में अनिवार्य हैं। अपूर्ण एवं पूर्ण आवेदनों हेतु मानक प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

<b>2.1 अपूर्ण आवेदन हेतु मानक प्रक्रिया (SOP for Incomplete Form-1)</b>	
i	निम्न स्थितियों में आवेदन अपूर्ण माना जावेगा- <ol style="list-style-type: none"><li>1. आवेदन फार्म फीस संलग्न नहीं है।</li><li>2. बोर्ड द्वारा निर्धारित प्ररूप 1 में वर्णित जानकारी घोषणा सहित प्रस्तुत नहीं है।</li><li>3. फार्म-1 के साथ संलग्न परिशिष्ट-1-टी में वर्णित जानकारी प्रस्तुत नहीं है अथवा अपूर्ण है।</li><li>4. अपूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर पंजीयन राशि खाते जमा नहीं करना है।</li></ol>

ii	<p><b>अपूर्ण आवेदन पर कार्यवाही- (समय सीमा 15 दिवस)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 15 दिवस की समय सीमा में आवेदक को बैंक लिस्ट के साथ पूर्ण आवेदन बोर्ड में प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र प्रेषित करना। (कार्यवाही-बोर्ड स्तर से पत्र 7 दिवस में जारी करना है)</li> <li>2. आवेदक द्वारा समय सीमा 15 दिवस में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आवेदन मय आवेदन फीस वापिस करें।</li> </ol>
iii	<p><b>अपात्र आवेदन-</b></p> <p>यदि आवेदक धारा 3 (2) के अंतर्गत आता है (अर्थात व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है अथवा ऐसा निगमित निकाय या संगठन जो भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं है) तो राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण को आवेदन प्रेषित करने हेतु निर्देशित करें।</p>

<p><b>2.2 पूर्ण आवेदन हेतु मानक प्रक्रिया (SOP for Complete Form-1)</b></p>	
i	<p>यदि आवेदन पूर्ण है तो निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदन फार्म के साथ प्राप्त पंजीयन राशि को म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड के राज्य जैवविविधता निधि खाते में 3 शासकीय कार्य दिवसों में बैंक में जमा करावें। क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारी व पदेन सहायक सदस्य सचिव आवेदन के साथ प्राप्त पंजीयन राशि को चेक/डी.डी./आर.टी.जी.एस./ऑनलाइन हस्तांतरण के माध्यम से 07 कार्यालयीन दिवसों में मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता निधि खाते में जमा कराया जायेगा।</li> <li>2. निर्धारित प्रारूप में अभिस्वीकृति क्रमांक आवंटित कर अभिस्वीकृति रसीद जारी करें (यह रसीद आवेदक द्वारा बोर्ड को पूर्व सूचना देने का प्रमाण मात्र है) (फार्मेट "2")।</li> <li>3. आवेदन के संदर्भ में अभिमत प्राप्त करने की कार्यवाही करें। वर्तमान में स्थानीय निकाय स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों का पुनर्गठन/सक्रियकरण नहीं होने के कारण स्थानीय निकायों एवं क्षेत्रीय वन अधिकारियों से अभिमत प्राप्त करने की व्यवस्था बनाई गई है। अभिस्वीकृति रसीद जारी होने के दिनांक से अधिकतम 30 दिवस की अवधि में अभिमत प्राप्त करें (फार्मेट "3")। यह एक अंतरिम व्यवस्था है। यदि समय-सीमा में अभिमत प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जावेगा कि संबंधित को कोई आपत्ति नहीं है। यदि जैव संसाधनों की प्राप्ति/पहुंच एक से अधिक वन मंडलों से प्राप्त किया जा रहा है तो संबंधित क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी से भी अभिमत प्राप्त करें।</li> <li>4. आवेदन में वर्णित जैवसंसाधनों के क्रय मूल्य के 1% के आधार पर जैवविविधता प्रकोष्ठ 15 दिवसों में लाभ प्रभाजन राशि की गणना पत्रक तैयार कर आवेदक को सूचित करें (फार्मेट "4")।</li> <li>5. अभिमत प्राप्त होने के 30 दिन की अवधि में आवेदक के साथ अनुबंध की कार्यवाही सुनिश्चित करें।</li> <li>6. आवेदक से अनुबंध के प्रथम वित्तीय वर्ष हेतु जैवसंसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन राशि का अग्रिम भुगतान मध्यप्रदेश जैवविविधता बोर्ड जैवविविधता निधि खाते में जमा करावे, जिसके उपरांत अनुबंध की कार्यवाही करें।</li> <li>7. जैवसंसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन हेतु पांच वित्तीय वर्ष हेतु अनुबंध हस्ताक्षरित किया जावेगा (फार्मेट-5)। अनुबंध राशि रु. 1000/- मूल्य के गैर न्यायिक स्टॉम्प (Non-Judicial Stamp) पर हस्ताक्षरित किया जावेगा।</li> <li>8. अनुबंध के प्रथम वित्तीय वर्ष हेतु वाणिज्यिक उपयोग के लिये जैविक संसाधनों की पहुंच/प्राप्ति का प्रमाण-पत्र जारी करें। यह प्रमाण-पत्र अनुबंध के दिनांक से जारी किया जावेगा (फार्मेट "6")।</li> </ol>

	<p>9. यदि आवेदक द्वारा पूर्व स्वीकृति में प्रदत्त जैवसंसाधन, उनकी मात्रा अथवा स्थान में परिवर्तन किया जाता है तो बोर्ड द्वारा 30 दिवस में अभिमत की कार्यवाही पश्चात आवेदक को जैवसंसाधन, मात्रा अथवा स्थान में परिवर्तन के संबंध में संशोधित अतिरिक्त जैविक संसाधनों की प्राप्ति का प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा।</p> <p>10. वित्तीय वर्ष समाप्ति पर आवेदक से निर्धारित प्रारूप में जैवसंसाधनों के वास्तविक क्रय-विक्रय की जानकारी प्राप्त कर आवेदक द्वारा भुगतान की गई लाभ प्रभाजन राशि का पुनः आंकलन करें एवं अन्तर राशि जमा करावें।</p>
--	---

<p><b>2.3 अनुबंध के द्वितीय वित्तीय वर्ष से पांचवें वित्तीय वर्ष हेतु मानक प्रक्रिया –</b>  <b>SOP for Second to fifth Financial Year Benefit Sharing Proceeding</b></p>	
1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. फार्म-1 अंतर्गत परिशिष्ट-1 टी में अनुबंध के द्वितीय वित्तीय वर्ष से पांचवें वित्तीय वर्ष हेतु प्रतिवर्ष जैवसंसाधनों का प्राक्कलन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर के पूर्व प्राप्त करें।</li> <li>2. स्थानीय निकायों एवं क्षेत्रीय वन अधिकारियों से आवेदक द्वारा अनुबंध के द्वितीय वित्तीय वर्ष से पांचवें वित्तीय वर्ष हेतु प्रतिवर्ष प्राक्कलित जैवसंसाधनों की मात्रा के संबंध में पूर्व प्रक्रिया अनुसार परामर्श एवं अभिमत की कार्यवाही करें।</li> <li>3. अनुबंध के द्वितीय वित्तीय वर्ष से पांचवें वित्तीय वर्ष हेतु प्रतिवर्ष जैवसंसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन राशि की गणना (बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रतिशत अनुसार) कर लाभ प्रभाजन राशि 31 मार्च के पूर्व जमा करने हेतु आवेदक को सूचित करें (फार्मेट-7)।</li> <li>4. पूर्व प्रक्रिया अनुसार ही आवेदक द्वारा अनुबंध की द्वितीय वित्तीय वर्ष से पांचवें वित्तीय वर्ष प्रतिवर्ष जैवसंसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन राशि बोर्ड के राज्य जैवविविधता निधि खाते में जमा करावें।</li> <li>5. अनुबंध के द्वितीय वित्तीय वर्ष से पांचवें वित्तीय वर्ष हेतु प्रतिवर्ष जैविक संसाधनों की प्राप्ति का प्रमाण-पत्र एवं एबीएस भुगतान रसीद जारी करें (फार्मेट-8)।</li> </ol>

3. म.प्र. शासन के राजपत्र क्र. 38 दिनांक 21.09.18 के अंतर्गत म.प्र. शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्र-आर-1868-957-2018-दस-2 दिनांक 12.09.2018 के क्रम में जैवसंसाधनों वाणिज्यिक उपयोग करने वाले व्यापारियों से अनुबंध की कार्यवाही निम्नानुसार की जावेगी-

क्र	विवरण	आवेदक की श्रेणी	कार्यवाही
1.	<p>आवेदकों से वित्तीय वर्ष 2018-19 में किये गये अनुबंध के क्रम में (म.प्र. शासन के राजपत्र क्र. 38 दिनांक 21.09.18 के अंतर्गत म.प्र. शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्र-आर-1868-957-2018-दस-2 दिनांक 12.09.2018 के पश्चात )</p>	व्यापारी	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुबंध की कार्यवाही संबंधित वन मण्डल स्तर से

# फार्मेट

क्र.	प्रपत्र	फार्मेट
1	फार्म-1 मय परिशिष्ट 1-टी	फार्मेट- 1
2	अभिस्वीकृति रसीद	फार्मेट- 2
3	अभिमत पत्र	फार्मेट- 3 (a,b,c)
4	एबीएस गणना पत्रक	फार्मेट- 4 (a,b)
5	जैवसंसाधनों तक पहुंच/प्राप्ति एवं लाभ प्रभाजन हेतु अनुबंध	फार्मेट- 5
6	अनुबंध के प्रथम वित्तीय वर्ष हेतु वाणिज्यिक उपयोग के लिये जैविक संसाधनों की पहुंच/प्राप्ति का प्रमाण-पत्र	फार्मेट- 6
7	अनुबंध के द्वितीय वर्ष का एबीएस गणना पत्रक	फार्मेट- 7 (a,b)
8	अनुबंध के द्वितीय एवं आगामी वित्तीय वर्षों हेतु वाणिज्यिक उपयोग के लिये जैविक संसाधनों की पहुंच/प्राप्ति का प्रमाण-पत्र एवं रसीद	फार्मेट- 8
9	अनुबंध के प्रथम वित्तीय वर्ष की लाभ प्रभाजन राशि का समायोजन प्रमाण पत्र	फार्मेट- 9
10	समायोजन उपरांत वास्तविक भुगतान की रसीद	फार्मेट- 10

## प्ररूप-1 के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख

1. व्यापारी/विनिर्माता की दशा में:- व्यापारी/विनिर्माता या फर्म के प्रोप्राइटर का पहचान पत्र एवं स्थायी पता/वर्तमान पता। (वोटर आई.डी./आधार कार्ड/ पेन कार्ड)
2. व्यापार या फर्म का रजिस्ट्रेशन - (गुमास्ता प्रमाण पत्र/फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर/जी.एस.टी.एन. नंबर)
3. ट्रेडर की दशा में :- पूर्व वित्तीय वर्षों का लाभ-हानि स्टेटमेंट, (P/L Statement) और बही खाता (Balance sheet Statement)।
4. एक पासपोर्ट साइज फोटो स्व-प्रमाणित चस्पा।
5. 1,000/- (एक हजार रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट/चैक/आर.टी.जी.एस./ऑनलाइन हस्तांतरण "सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल" के नाम से देय होगा।

डी.डी. नं./चैक नं./ आर.टी.जी.एस. नं.	
दिनांक	
बैंक का नाम एवं शाखा	

नोट:- आवेदक द्वारा फॉर्म-1 के संदर्भ में उपलब्ध कराये गये उक्त दस्तावेजों को (✓) से चिन्हित करें।  
बोर्ड की वेबसाइट पर फॉर्म-1 का प्रारूप उपलब्ध है।

### आर.टी.जी.एस. के हेतु खाते का विवरण निम्नानुसार है-

A/c Holder Name	Member Secretary, Madhya Pradesh State Biodiversity Board
Bank Name	IDBI Bank
Branch Name	Center Point, Housing Board Building, T.T. Nagar, New Market, Bhopal (M.P.)
S.B. Account No.	030104000235983
IFSC Code	IBKL0000030
MICR Code	462259002

आवेदक हस्ताक्षर  
(सील)

Website : [mpsbb.nic.in](http://mpsbb.nic.in)  
E-mail : [mpsbb@mp.gov.in](mailto:mpsbb@mp.gov.in)  
Phone no. : 0755- 2554539, 2554549  
Address : 26, Kisan Bhawan, 1<sup>st</sup> floor, Arera Hills, Bhopal 462011

(नियम 17 देखिए)

(See rule 17)

वाणिज्यिक उपयोग एवं संबंधित पारंपरिक ज्ञान हेतु/जैवसंसाधनों तक पहुंच/जैविक संसाधनों के संग्रहण के लिए आवेदन प्रारूप

Application form for commercial use and associated traditional knowledge/access to biological resources/collecting of biological resources

## भाग क

## Part A

1.	आवेदक का पूर्ण विवरण : Full particulars of the applicant:	
(i)	नाम : Name :	
(ii)	स्थायी पता Permanent address	
(iii)	दूरभाष मोबाइल/लैण्डलाइन नंबर Contact Mobile/Landline No.	
(iv)	ई-मेल/वेबसाइट Email/ Website	
(iv)	भारत में संपर्क व्यक्ति/अभिकर्ता, यदि कोई हो, का पता : Address of the contact person/agent, if any, in India:	
(vi)	व्यक्ति/संगठन की रूपरेखा (यदि आवेदक कोई व्यक्ति हो तो व्यक्तिगत रूपरेखा. कृपया अधिप्रमाणन के लिए संबंधित दस्तावेज संलग्न करें) : Profile of the person/organization (personal profile in case the applicant is an individual. Please attach relevant documents of authentication):	
(vii)	कारोबार की प्रकृति (व्यापारी/निर्माता) : Nature of business (Traders/Manufacturer) :	
(viii)	भारतीय रुपये में संगठन का व्यापारवर्त : Turnover of the organization of Indian Rupees:	कृपया जानकारी परिशिष्ट 1 टी में दें (Please provide details as per the Annexure 1 -T)
2.	पहुंच के लिये चाही गई प्रकृति तथा जैविक सामग्री और या संबंधित ज्ञान तक पहुंच के बारे में ब्यौरे तथा विनिर्दिष्ट जानकारी। Details and specific information about nature of access sought and biological material and/or associated knowledge to be accessed.	
(i)	जैवसंसाधन की पहचान (वैज्ञानिक नाम) एवं उसका पारंपरिक उपयोग : Identification (scientific name) of biological resources and	कृपया जानकारी परिशिष्ट 1 टी में दें (Please provide details as per the Annexure 1 T)

	its traditional use:	
(ii)	<p>प्रस्तावित संग्रहण की भौगोलिक स्थिति (जिसमें सम्मिलित है बी.एम.सी. ग्राम, जनपद तथा जिला अथवा वन क्षेत्र का विवरण बीट, रेंज, वनमण्डल):</p> <p>Geographical location of proposed collection (includes BMC, village, janpad &amp; district or forest area- Beat, Range, Division):</p>	<p>कृपया जानकारी परिशिष्ट 1 टी में दें</p> <p>(Please provide details as per the Annexure 1 T)</p>
(iii)	<p>पारंपरिक ज्ञान का विवरण प्रकृति तथा उसका विद्यमान विवरण एवं उपयोग (मौखिक दस्तावेजी)</p> <p>Description/nature of traditional knowledge (oral/documented):</p>	
(iv)	<p>पारंपरिक ज्ञान रखने वाला कोई पहचाना हुआ व्यक्ति / कुटुंब / समुदाय:</p> <p>Any identified individual/community holding the traditional knowledge:</p>	
(v)	<p>संग्रहित किए जाने वाले जैवसंसाधन की मात्रा</p> <p>Quantity of biological resources is proposed to be collected (give the schedule) :</p>	<p>कृपया जानकारी परिशिष्ट 1 टी में दें</p> <p>(Please provide details as per the Annexure 1 -T)</p>
(vi)	<p>समय सीमा जिसके भीतर जैवसंसाधन संग्रहित किया जाना प्रस्तावित है :</p> <p>Time span in which the biological resources is proposed to be collected:</p>	<p>कृपया जानकारी परिशिष्ट 1 टी में दें</p> <p>(Please provide details as per the Annexure 1 -T)</p>
(vii)	<p>कम्पनी द्वारा संग्रहण करने के लिये प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम और संख्या :</p> <p>Name and number of person authorized by the company for making the selection:</p>	
(viii)	<p>पहुंच का प्रयोजन, जिसके लिए अनुरोध किया गया है जिसमें सम्मिलित है अनुसंधान का प्रकार और विस्तार, उत्पन्न किया जा रहा वाणिज्यिक उपयोग और व्युत्पन्न होना प्रत्याशित है:</p> <p>The purpose for which the access is requested including the type and extend of research, commercial use being derived and expected to be derived from it:-</p>	<p>कृपया जानकारी परिशिष्ट 1 टी में दें</p> <p>(Please provide details as per the Annexure 1 -T)</p>
(ix)	<p>क्या संसाधनों के संग्रहण अथवा उपयोग से जैवविविधता के किसी घटक को खतरा है। पहुंच से उत्पन्न हो सकने वाले खतरे :</p> <p>Whether any collection of the biological resource endangers any component of biological diversity and the risks which may arise from the access:</p>	



3.	उन जैवसंसाधनों जिन तक पहुंच की गयी तथा पारंपरिक ज्ञान के प्रयोग से समुदायों को हो सकने वाले सभी लाभों का प्राक्कलन।  Estimation of benefits that would flow to communities arising out of the use of accessed bio-resources and traditional knowledge.	
4.	लाभों के प्रभाजन को प्रस्तावित की कार्यविधि तथा व्यवस्था।  Proposed mechanism and arrangements for benefit sharing.	
5.	क्या आपके विरुद्ध आज दिनांक तक एवं उससे पूर्व किसी भी वन अधिनियम एवं अन्य अधिनियम के तहत कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है? यदि हाँ तो उल्लेखित करें।  If there has been any criminal proceeding /Liability going on against you as per law of the land. If yes, please specify.	
6.	कोई अन्य जानकारी :-  Any other information considered relevant.	

दिनांक / Date :

स्थान / Place :

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर / प्राधिकृत अधिकारी

Name & Signature of the Applicant/\* \*

Authorized Signatory

पता:

Address:

मुद्रा:

Seal:

## भाग ख

### Part B

## घोषणा

### Declaration

मैं/हम घोषणा करते हैं कि

I/we declare that

1. प्रस्तावित जैवसंसाधनों के संग्रहण एवं उपयोग संसाधनों की पोषणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा,

Collection of proposed biological resources shall not adversely affect the sustainability of the resource;

2. प्रस्तावित जैवसंसाधनों के संग्रहण एवं उपयोग से कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ेगा,

Collection of proposed biological resources shall not pose any risk to ecosystems;

3. प्रस्तावित जैवसंसाधनों के संग्रहण से पारिस्थितिकी तंत्र प्रजातियों तथा आनुवांशिक विविधता सहित जैवविविधता के लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं करेगा।

Collection of proposed biological resources shall not pose any risk to biodiversity inclusive of genetic, species and ecosystem levels.

4. प्रस्तावित जैवसंसाधनों का संग्रहण एवं उपयोग स्थानीय समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा,

Collection of proposed biological resources shall not adversely affect the local communities;

मैं/हम, कोई भी फीस तथा/या रायल्टी का, जो बोर्ड या जैवविविधता प्रबंधन समिति द्वारा उदग्रहीत की जाए, भुगतान करने का वचन देते हैं। मैं/हम, अवसूलीय बैंक प्रत्याभूति जैसे कि बोर्ड विहित की जाएं, देने का भी वचन देते हैं।

I/we declare that we here by abide to pay any fees or royalty which my levy either by the Board or Biodiversity Management Committee/s. This will be in the form of non-refundable bank guarantee or as decided by the Board.

मैं/हम आगे घोषणा करते हैं कि, आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सत्य एवं प्रामाणिक है तथा मैं/हम किसी गलत/असत्य जानकारी के लिए जिम्मेदार होंगे।

I/we further declare the information provided in the application form is true and correct and I/we shall be responsible for any incorrect/wrong information.

5. जैवविविधता अधिनियम 2002 की धारा 3(2) के अंतर्गत हमें निम्न प्रावधानों की जानकारी है:—  
धारा 3(2)—वे व्यक्ति जिनसे उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा, निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

I am/ we are aware that the section 3(2) of the Biological Diversity Act, 2002 states as under:-

Section 3(2): "The persons who shall be required to take the approval of the National Biodiversity Authority under sub section (1) are the following, namely:

- (1) वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है।

A person who is not a citizen of India;

(2) भारत का ऐसा नागरिक जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 के खंड (30) में परिभाषित अनिवासी है।

A citizen of India, who is a non-resident as defined in clause (30) of section 2 of the Income tax Act, 1961.

(3) ऐसा निगमित निकाय, संगम या संगठन जो—

A body corporate, association or organization-

(i) भारत में निगमित या रजिस्ट्रीकृत नहीं है या :

Not incorporated or registered in India; or

(ii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भारत में निगमित या रजिस्ट्रीकृत है, जिससे उसकी शेयर पूंजी या प्रबंध में कोई गैर भारतीय भागीदारी है।

Incorporated or registered in India under any law for the time being in force which has any non-Indian participation in its share capital or management.

अतः इस सम्बंध में, हम निम्न घोषणा प्रस्तुत करते हैं कि :

In this connection, I am herewith submitting the following declaration:-

हम/हमारी संस्था जैवविविधता अधिनियम 2002 की धारा 3(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

**\* I / we hereby declare that I / we / “do not fall” under the scope of the provision contained in section 3(2) of the Biological Diversity Act, 2002.**

(\*Strike out which is not applicable)

दिनांक: Date:	आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर/प्राधिकृत अधिकारी Name & Signature of the Applicant/* * Authorised Signatory
स्थान : Place:	पता: Address: मुद्रा: Seal:

**\*\*यदि आप प्राधिकृत अधिकारी हो तो मुख्तारी अधिकार (Power of attorney in original) की मूल प्रति उपलब्ध करायें।**

**\*\*If you are a Authorised Signatory please provide power of attorney in original.**

प्रति,

To,

सदस्य सचिव

The Member-Secretary

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

Madhya Pradesh State Biodiversity Board

26, किसान भवन,

26, Kisan Bhawan,

प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

I Floor, Arera Hills, Bhopal- 462 011.

आवेदित वित्तीय वर्ष.....हेतु जैवसंसाधनों तक पहुंच/प्राप्ति की अनुमानित जानकारी  
(व्यापारी के लिए)

**Estimate for Access of Bio resource for the Current Financial Year ----- (For Trader)**  
फार्म -1, भाग - क के बिन्दु क्रमांक 1 (viii) एवं 2 (i, ii, v, vi, viii) में वर्णित संदर्भ अंतर्गत  
(Form 1 Part - A Point 1 (viii) and 2 (i, ii, v, vi, viii))

व्यापार की इकाई के गोदाम का स्थान व पूर्ण पता (Location of the Godam & its full

address)..... वर्ष .....

क्र.सं.	जैवसंसाधन का सामान्य नाम Name of Bio-resource (local)	वैज्ञानिक नाम Name of Bio-resource (Scientific)	जैवसंसाधन का भाग Part of Bio-resource	मात्रा Quantity in KGs	मूल्य Purchase Price per KG in Rs.	संग्रहण स्थल का विवरण Location of proposed collection							संग्रहण अवधि Collection Duration	व्यक्ति जिससे जैव संसाधन खरीदा जावेगा का नाम व पता मो. एवं ईमेल	व्यक्ति जिसे जैव संसाधन बेचा जायेगा का नाम व पता मो. एवं ईमेल	गत वर्ष का वार्षिक टर्नओवर Last Year Annual Turnover
						राजस्व क्षेत्र Revenue Area				वन क्षेत्र Forest Area						
						बीएमसी BMC	ग्राम पंचायत Village	जनपद Block	जिला District	कक्ष/बीट Beat	रेज Range	वनमण्डल Division				
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)
1																
2																
3																

**नोट -**

1. प्रत्येक वर्ष के लिये पृथक परिशिष्ट 1-टी का उपयोग करें।
2. उपरोक्त कॉलम की जानकारी ज्यादा होने पर अलग प्रपत्र में प्रस्तुत करें।
3. कॉलम नम्बर 3 की जानकारी ज्ञात हो तो भरें।
4. कॉलम नम्बर 4 अंतर्गत समग्र पौधा, जड़, छाल, फल-फूल, पत्ता आदि वर्णित करें।
5. व्यापारी के पूर्व वित्तीय वर्ष के प्रमाणित लाभ हानि स्टेटमेंट (P/L Statement), वहीखाता (Balance Sheet Statement), एवं ऑडिट रिपोर्ट दस्तावेज प्रस्तुत करें।

हस्ताक्षर

*Signature*

व्यापारी / फर्म / प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम  
*Name of the trader/Firm/Authorized person*

क्रमांक / जैवविविधता प्रकोष्ठ / वि.वर्ष /

दिनांक .....

**कार्यालय वनमण्डलाधिकारी व पदेन सहायक सदस्य सचिव  
मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड**

क्षेत्रीय वनमण्डल.....जिला.....

**जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा-7 के तहत आवेदन (फार्म-1)  
की अभिस्वीकृति रसीद**

जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा-7 व 24(2) एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम-17 एवं जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम 2014 के अंतर्गत:-

आवेदक का नाम	मेसर्स / श्री / सुश्री / श्रीमति.....
आवेदक का संपूर्ण पता एवं सम्पर्क	.....

उपरोक्त आवेदक के आवेदन दिनांक ..... के क्रम में इस कार्यालय द्वारा अभिस्वीकृति क्र. MPSBB/BABSC/Division Code---/Financial Year---/Sr.No----- दिनांक.....को आवंटित किया जा रहा है। कृपया भविष्य में अपने पत्राचार में आवंटित अभिस्वीकृति क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।

1. फर्म/आवेदक द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी की संपूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी एवं इसमें किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए आप स्वयं जवाबदार होंगे।
2. वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनों की प्राप्ति का प्रमाण पत्र ए.बी.एस. राशि जमा करने व अनुबंध पत्र हस्ताक्षर करने पर ही जारी किया जावेगा।
3. आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में निम्न (✓) जानकारियाँ अपूर्ण हैं, जो अनुबंध के समय प्रस्तुत करें :-

मोबाइल क्र./दूरभाष क्र./ईमेल पता	
PAN नंबर/वोटर आईडी/आधार कार्ड	
फर्म का रजिस्ट्रेशन/गुमास्ता प्रमाण पत्र/ GSTN	
जैवसंसाधन के संग्रहण का समय	
संस्था का वार्षिक टर्न ओवर	

(सील एवं हस्ताक्षर)  
वनमण्डलाधिकारी व पदेन सहायक सदस्य सचिव  
म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड  
क्षेत्रीय वनमण्डल.....

पृष्ठांकन क्रमांक / जैवविविधता प्रकोष्ठ / वि.वर्ष /  
प्रतिलिपि :-

दिनांक .....

1. वनमंडलाधिकारी क्षेत्रीय वनमंडल.....की ओर सूचनार्थ।
2. उप वनमंडलाधिकारी क्षेत्रीय वनमंडल .....की ओर सूचनार्थ।
3. व्यापारी ..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वनमण्डलाधिकारी व पदेन सहायक सदस्य सचिव  
म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड  
क्षेत्रीय वनमण्डल.....

क्रमांक / जैवविविधता प्रकोष्ठ / वि.वर्ष /

दिनांक .....

प्रति,

1. वनपरिक्षेत्र अधिकारी..... / उपवनमंडलाधिकारी.....  
क्षेत्रीय वनमण्डल .....
- जिला ..... (म.प्र)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत / जनपद पंचायत या .....  
ग्राम पंचायत..... / जनपद पंचायत..... / बी.एम.सी.....  
जिला ..... (म.प्र)
3. जैवविविधता प्रबंधन समिति .....

**विषय:** वाणिज्यक उपयोग हेतु जैवसंसाधनों की प्राप्ति / पहुँच के संबंध में अभिमत बावत्।

**संदर्भ:** जैवसंसाधनों की प्राप्ति (वित्तीय वर्ष ..... ) हेतु व्यापारी से प्राप्त फार्म-1

उपरोक्त विषयांतर्गत जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा-7, 24(2) एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम 2004, के नियम 17 (2)के अंतर्गत जैवसंसाधनों के संग्रहण हेतु स्थानीय निकायों/वनमंडलों से अभिमत प्राप्त किया जाना प्रावधानिक है। इस क्रम में आवेदक.....द्वारा प्रस्तुत आवेदन में वर्णित जैवसंसाधनों के वाणिज्यक उपयोग हेतु प्राप्ति/पहुँच चाही गई है। इस संबंध में संलग्न प्रारूप अनुसार अभिमत प्रेषित करने का कष्ट करें।

कृपया 30 दिवस में इस कार्यालय को अपना अभिमत प्रेषित करने का कष्ट करें। यदि आपका अभिमत उक्त समयावधि में प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जावेगा कि जैवसंसाधनों की प्राप्ति/पहुँच हेतु कोई आपत्ति नहीं है। आपके अभिमत के आधार पर आवेदन के संबंध में इस कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जावेगा।

**संलग्न:-1.** आवेदित जैवसंसाधनों की सूची।

2. अभिमत का प्रारूप

वनमण्डलाधिकारी (क्षे.), व पदेन  
सहायक सदस्य सचिव, म.प्र.रा.जैवि.बोर्ड  
क्षेत्रीय वन मण्डल .....जिला.....

**नोट\*—** यदि जैवसंसाधनों की प्राप्ति/पहुँच एक या एक से अधिक वनमण्डलों से की जा रही है, तो संबंधित क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी से भी परामर्श करें।

## जैवसंसाधनों के वाणिज्यक उपयोग हेतु अभिमत

दिनांक.....को विचार विमर्श एवं तथ्यात्मक उपलब्ध जानकारी अनुसार प्राप्त आवेदन में जैवसंसाधन की दर्शित मात्रा के पहुँच/प्राप्ति के संबंध में जैवविविधता प्रबंधन समिति/वन परिक्षेत्र/उप वनमंडल/वन मंडल/स्थानीय निकाय का अभिमत प्रेषित है।

1. प्रस्तावित जैवसंसाधनों के संग्रहण एवं उपयोग संसाधनों की पोषणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
2. प्रस्तावित जैवसंसाधनों के संग्रहण एवं उपयोग से कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. प्रस्तावित जैवसंसाधनों के संग्रहण से पारिस्थितिकी तंत्र प्रजातियों तथा आनुवांशिक विविधता सहित जैवविविधता के लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं करेगा।
4. प्रस्तावित जैवसंसाधनों का संग्रहण एवं उपयोग स्थानीय समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
5. प्रस्तावित जैवसंसाधन मध्यप्रदेश वन उपज (जैवविविधता का संरक्षण एवं पोषणीय कटाई) नियम, 2005 अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं है।

संलग्न: आवेदित जैवसंसाधनों की सूची जिनके संदर्भ में अभिमत प्रेषित है।

दिनांक.....

अध्यक्ष/सचिव/प्रभारी अधिकारी  
जैवविविधता प्रबंधन समिति/स्थानीय निकाय/वन  
परिक्षेत्र/उप वनमंडल/वनमंडल

फार्म-1 (परिशिष्ट-1 टी) में वर्णित आवेदक/व्यापारी द्वारा जैवसंसाधनों के स्थान, नाम, मात्रा, के संग्रहण की विवरण सूची

क्रं.	फर्म व आवेदक का नाम	फर्म/आवेदक का पता	फोन नंबर	जैवसंसाधन का नाम	जैव संसाधन की मात्रा (कि.ग्रा. में)	जैवसंसाधन प्रस्तावित संग्रहण स्थल
1	2	3	4	6	7	8
1						
2						

सील एवं हस्ताक्षर)  
वनमंडलाधिकारी (क्षे.) व पदेन  
सहायक सदस्य सचिव म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड  
क्षेत्रीय वनमंडल.....



क्रमांक / जैवविविधता प्रकोष्ठ / वि.वर्ष..... /  
प्रति,

दिनांक .....

.....  
.....  
.....

**विषय:** अनुबंध के प्रथम वित्तीय वर्ष..... हेतु ए.बी.एस. (लाभ-प्रभाजन) राशि भुगतान एवं अनुबंध कार्यवाही करने बावत।

**संदर्भ:** आपका आवेदन पत्र क्र. .... दिनांक .....

विषयांतर्गत संदर्भित आवेदन द्वारा आपसे प्राप्त फार्म-1 के क्रम में जैवसंसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटान विनियम-2014 के विनियम-3 अनुसार जैवसंसाधनों के क्रय मूल्य के ..... प्रतिशत के आधार पर वित्तीय वर्ष.....की ए.बी.एस राशि की गणना की गई है। संलग्न सूची अनुसार ए.बी.एस. गणना पत्रक संलग्न प्रेषित है। अनुबंध के क्रम में निम्नालिखित बिन्दू अनुसार कार्यवाही की जावेगी :-

1. ए.बी.एस. की गणना आवेदक द्वारा फार्म-1 में प्रेषित जानकारी एवं संलग्न अभिलेख के आधार पर की गई है एवं अनुमानित है जो कि अनुबंध के प्रथम वित्तीय वर्ष के उपरांत जैवसंसाधनों के उपयोग की वास्तविक मात्रा के आधार पर समायोजित की जावेगी।
2. अनुबंध राशि रु 1000/- मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉप पेपर पर किया जावेगा जो कि आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा।
3. इस कार्यालय एवं आवेदक के मध्य अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पूर्व ए.बी.एस. राशि का भुगतान सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड को देय डिमांड ड्राफ्ट से किया जाना अनिवार्य है।

**आर.टी.जी.एस. के हेतु खाते का विवरण निम्नानुसार है-**

A/c Holder Name	Member Secretary, Madhya Pradesh State Biodiversity Board
Bank Name	IDBI Bank
Branch Name	Center Point, Housing Board Building, T.T. Nagar, New Market, Bhopal (M.P.)
S.B. Account No.	030104000235983
IFSC Code	IBKL0000030
MICR Code	462259002

कृपया अनुबंध हेतु पत्र प्राप्ति से 07 दिवस में कार्यालयीन समय पर कार्यालय में उपरोक्त कार्यवाही बावत व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।

**संलग्न -** ए.बी.एस गणना पत्रक

(सील एवं हस्ताक्षर)  
वनमण्डलाधिकारी (क्षे.) व  
पदेन सहायक सदस्य सचिव म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड  
क्षेत्रीय वनमण्डल.....



क्रमांक/जैवि. प्रकोष्ठ/वि.व...../

दिनांक .....

**वाणिज्यिक उपयोग के लिये जैविक संसाधनों की पहुंच/प्राप्ति का  
प्रमाण पत्र  
(अनुबंध के प्रथम वित्तीय वर्ष हेतु)**

प्रति,

.....  
.....  
.....

**विषय:-** म.प्र. जैवविविधता नियम, 2004 के नियम-17 के प्रावधान अनुसार जैवसंसाधनों तक पहुंच/प्राप्ति बावत्।

**संदर्भ:-** 1. आपका आवेदन दिनांक ..... कार्यालयीन आवक क्र. .... दिनांक .....

2. **अभिस्वीकृति क्र.** MPSBB/BABSC/Division Code----/Financial Year----/Sr.No----दिनांक.....

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के क्रम में, इस कार्यालय द्वारा अनुबंध दिनांक ..... के अधीन वाणिज्यिक उपयोग हेतु निम्न जैव संसाधनों को प्राप्त करने का अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

क्र.	जैव संसाधन का नाम	मात्रा (किलो ग्राम) में	प्रस्तावित संग्रहण की भौगोलिक स्थिति	अवधि (महीनों का नाम)
1	2	3	4	5
1				जारी दिनांक से अनुबंध के प्रथम वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक  * कृपया वित्तीय वर्ष अंकित करते हुए प्रमाण-पत्र जारी करे
2				
3				

आवेदक द्वारा वित्तीय वर्ष ..... हेतु लाभ प्रभाजन राशि रु. ..../- (राशि शब्दों में) का भुगतान ड्राफ्ट/चैक/आर.टी.जी.एस/ऑनलाइन हस्तांतरण (क्र..... दि.....के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी के पास)/आरटीजीएस के माध्यम से म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड के खाते में दिनांक..... को जमा किया गया है।

**कृपया निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करें :-**

1. जैवसंसाधनों की प्राप्ति हेतु अनुमोदित मात्रा वर्णित सीमा तक लागू होगी। यदि अनुमोदित मात्रा से अधिक मात्रा में जैव संसाधन का वाणिज्यिक उपयोग किया जाता है तो इस कार्यालय को लिखित सूचना देकर अतिरिक्त अनुज्ञा का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
2. आवेदक जैवसंसाधनों के क्रय हेतु प्राधिकृत व्यक्ति (नाम/पता/फोटो) का विवरण इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगा एवं सत्यापित परिचय पत्र प्राप्त करेगा।
3. यदि जैवविविधता प्रबंध समिति द्वारा संग्रहण शुल्क लिया जाता है तो निर्धारित दर अनुसार संग्रहण शुल्क के भुगतान उपरान्त ही आवेदक को क्षेत्र में जैवसंसाधनों तक पहुंच या संग्रहण की अनुमति होगी। जो कि लाभ प्रभाजन राशि के अतिरिक्त होगी।
4. आवेदक द्वारा अनुबंध के आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अनुमानित जैवसंसाधन की जानकारी निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट-1टी में अनुबंध के जारी वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर, तक इस कार्यालय में प्रेषित करना होगी।

कार्यालय द्वारा एबीएस राशि की गणना कर आवेदक को सूचित किया जायेगा। जिसका भुगतान अनुबंध के जारी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च के पूर्व जमा करना होगा, अन्यथा आगामी वित्तीय वर्षों हेतु अनुबंध निरस्त माना जावेगा।

5. आवेदक द्वारा अनुबंध के प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जैवसंसाधनों के संग्रहण का वास्तविक वार्षिक विवरण परिशिष्ट-3 (प्रमाणित दस्तावेजों सहित) एवं परिशिष्ट-4 (शपथ पत्र) अनुबंध के आगामी वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर, तक प्रस्तुत करना होगा। जिसके परिप्रेक्ष्य में अनुबंध के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की लाभ प्रभाजन राशि का समायोजन अनुबंध के आगामी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च, के पूर्व किया जायेगा।
6. आवेदक द्वारा जैवसंसाधनों का क्रय वैध तरीके से किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि व्यापार अवैध तरीके से किया गया है तो जारी प्रमाण पत्र निरस्त किया जावेगा एवं जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधान अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
7. मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम 2004 के नियम 18 एवं 19 के तहत यदि संबंधित व्यापारी के द्वारा जैवसंसाधनों की प्राप्ति से जैवविविधता संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने अथवा संवहनीय न होने की स्थिति में अनुबंध को पुनरीक्षित अथवा निरस्त किया जावेगा।
8. यदि उपरोक्त वर्णित जैवसंसाधनों में से कोई जैवसंसाधन म.प्र. वन उपज (जैव विविधता का संरक्षण एवं पोषणीय कटाई) नियम 2005 के अंतर्गत वनमण्डलाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र में निषिद्ध की जाती है तो यह अनुमति उस जैव संसाधन के संदर्भ निषिद्ध अवधि के लिए **अमान्य और शून्य (Null & Void)** मानी जायेगी।
9. अनुबंध/प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन पर म.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड, द्वारा प्रदत्त अनुमति/अनुज्ञा को निरस्त करने के साथ-साथ जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा-56, 57 के अधीन दंडिक कार्यवाही की जावेगी।

(सील एवं हस्ताक्षर)  
वनमण्डलाधिकारी व  
पदेन सहायक सदस्य सचिव  
मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड  
क्षेत्रीय वनमण्डल.....  
दिनांक .....

पृष्ठांकन क्र/जैवि. प्रकोष्ठ/वि.व...../  
प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड, 26, किसान भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011
2. मुख्य वनसंरक्षक, व पदेन संयुक्त सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड वनवृत्त .....  
जिला - ..... (म.प्र.)
3. सभी संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी...../उपवनमंडलाधिकारी.....क्षेत्रीय वनमण्डल .....  
जिला .....(म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सील एवं हस्ताक्षर)  
वनमण्डलाधिकारी व  
पदेन सहायक सदस्य सचिव  
म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड  
क्षेत्रीय वनमण्डल.....

क्रमांक / जैवविविधता प्रकोष्ठ /  
प्रति,

दिनांक .....

.....  
.....  
.....

**विषय:** अनुबंध के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम वित्तीय वर्ष..... हेतु ए.बी.एस. (लाभ-प्रभाजन) राशि भुगतान एवं अनुबंध कार्यवाही करने बावत।

**संदर्भ:** आपका आवेदन पत्र क्र. .... दिनांक .....

विषयांतर्गत संदर्भित आवेदन द्वारा अनुबंध के ..... वित्तीय वर्ष.....हेतु जैवसंसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के संदर्भ में प्रस्तुत परिशिष्ट 1-टी के क्रम में जैवसंसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम-2014 के विनियम-3 अनुसार जैवसंसाधनों के क्रय मूल्य के ..... प्रतिशत के आधार पर वित्तीय वर्ष.....हेतु ए.बी.एस राशि की गणना की गई है। संलग्न सूची अनुसार ए.बी.एस. गणना पत्रक संलग्न प्रेषित है। अनुबंध के क्रम में निम्नलिखित बिन्दु अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

1. ए.बी.एस. की गणना आवेदक द्वारा फार्म-1 के परिशिष्ट 1-टी में प्रेषित जानकारी एवं संलग्न अभिलेख के आधार पर की गई है एवं अनुमानित है जो कि अनुबंध के द्वितीय वित्तीय वर्ष के उपरांत जैवसंसाधनों के उपयोग की वास्तविक मात्रा के आधार पर समायोजित की जावेगी।
2. इस कार्यालय एवं आवेदक के मध्य अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पूर्व ए.बी.एस. राशि का भुगतान सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड को देय डिमांड ड्राफ्ट से किया जाना अनिवार्य है।

**आर.टी.जी.एस. हेतु खाते का विवरण निम्नानुसार है :**

A/c Holder Name	Member Secretary, Madhya Pradesh State Biodiversity Board
Bank Name	IDBI Bank
Branch Name	Center Point, Housing Board Building, T.T. Nagar, New Market, Bhopal (M.P.)
S.B. Account No.	030104000235983
IFSC Code	IBKL0000030
MICR Code	462259002

कृपया अनुबंध हेतु पत्र प्राप्ति से 07 दिवस में कार्यालयीन समय पर कार्यालय में उपरोक्त कार्यवाही बावत व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।

**संलग्न** – ए.बी.एस गणना पत्रक

(सील एवं हस्ताक्षर)  
वनमण्डलाधिकारी (क्षे.) व  
पदेन सहायक सदस्य सचिव  
मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड  
क्षेत्रीय वनमण्डल.....



## Madhya Pradesh State Biodiversity Board

26, Kisan Bhawan, 1<sup>st</sup> Floor, Arera Hills, Bhopal-462011

Phone No. 0755-2554539, 2554549, 2764911, Fax: 0755-2764912

E-mail : [mpsbb@mp.gov.in](mailto:mpsbb@mp.gov.in), Website: [www.mpsbb.nic.in](http://www.mpsbb.nic.in)

### एबीएस गणना पत्रक (अनुबंध के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम वित्तीय वर्ष..... हेतु)

(जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014 अंतर्गत)

अभिस्वीकृति क्रमांक— MPSBB/BABSC/-----/-----/-----.

फर्म/व्यापारी का नाम एवं पता : .....

क्र.	जैव संसाधनों का नाम	अधिनियम की धारा-40 अंतर्गत छूट प्राप्त जैव संसाधन	जैव संसाधनों की अनुमानित मात्रा (किलोग्राम में)	प्रति किलोग्राम अनुमानित दर (रु/प्रति किलो)	जैव संसाधनों का अनुमानित क्रय मूल्य (रु)	द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम वित्तीय वर्ष एबीएस राशि बिन्दु 6 का (1%)	विगत वित्तीय वर्ष की समायोजन राशि	देय एबीएस राशि (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	कुल							

नोट:-

1. जैवविधता अधिनियम, 2002 की धारा-40 अंतर्गत साधारणतया व्यापार के जैव संसाधन के विनिर्दिष्ट पादप भाग को अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(सील एवं हस्ताक्षर)  
वनमण्डलाधिकारी व  
पदेन सहायक सदस्य सचिव  
मध्यप्रदेश राज्य जैवविधता बोर्ड  
क्षेत्रीय वनमण्डल.....

क्रमांक / जैवि. प्रकोष्ठ / वि.व..... /

दिनांक .....

**वाणिज्यिक उपयोग के लिये जैविक संसाधनों की पहुंच/प्राप्ति का  
प्रमाण पत्र  
(अनुबंध के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम वित्तीय वर्ष हेतु)**

प्रति,

.....  
.....  
.....

**विषय:** म.प्र. जैवविविधता नियम, 2004 के नियम-17 के प्रावधान अनुसार जैवसंसाधनों तक पहुंच/प्राप्ति बावत्।

**संदर्भ:** 1. वित्तीय वर्ष .....से ..... हेतु जारी अनुबंध दिनांक.....  
2. आपका आवेदन दिनांक ..... कार्यालयीन आवक क्र. .... दिनांक .....

**अभिस्वीकृति क्र.** MPSBB/BABSC/Division Code----/Financial Year----/Sr.No---- दिनांक.....

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के क्रम में, इस कार्यालय द्वारा अनुबंध दिनांक ..... के अधीन वाणिज्यिक उपयोग हेतु निम्न जैवसंसाधनों को प्राप्त करने का अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

क्र	जैवसंसाधन का नाम	मात्रा (कि.ग्रा)	अवधि (महीनों का नाम)	प्रस्तावित संग्रहण की भौगोलिक स्थिति	पूर्व वित्तीय वर्ष के समायोजन उपरांत देय एबीएस राशि	पूर्व वित्तीय वर्ष के अंत में बचा हुआ स्टॉक
1	2	3	4	5	6	7
1			जारी दिनांक से अनुबंध के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम वर्ष के 31 मार्च तक * कृपया वित्तीय वर्ष अंकित करते हुए प्रमाण-पत्र जारी करें			

आवेदक द्वारा वित्तीय वर्ष ..... हेतु लाभ प्रभाजन राशि रु. .... /-(राशि शब्दों में) का भुगतान ड्राफ्ट/चैक (क्र..... दि.....के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी के पास) आरटीजीएस/आनलाईन हस्तांतरण क्र.....के माध्यम से म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड के खाते में दिनांक..... को जमा किया गया है।

**कृपया निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करें :-**

- जैवसंसाधनों की प्राप्ति हेतु अनुमोदित मात्रा वर्णित सीमा तक लागू होगी। यदि अनुमोदित मात्रा से अधिक मात्रा में जैव संसाधन का वाणिज्यिक उपयोग किया जाता है तो इस कार्यालय को लिखित सूचना देकर अतिरिक्त अनुज्ञा का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
- आवेदक जैवसंसाधनों के क्रय हेतु प्राधिकृत व्यक्ति (नाम/पता/फोटो) का विवरण इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगा एवं सत्यापित परिचय पत्र प्राप्त करेगा।
- यदि जैवविविधता प्रबंध समिति द्वारा संग्रहण शुल्क लिया जाता है तो निर्धारित दर अनुसार संग्रहण शुल्क के भुगतान उपरान्त ही आवेदक को क्षेत्र में जैवसंसाधनों तक पहुंच या संग्रहण की अनुमति होगी। जो कि लाभ प्रभाजन राशि के अतिरिक्त होगी।
- आवेदक द्वारा अनुबंध के आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अनुमानित जैवसंसाधन की जानकारी निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट-1टी में अनुबंध के जारी वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर, तक इस कार्यालय में प्रेषित करना होगी।

कार्यालय द्वारा एबीएस राशि की गणना कर आवेदक को सूचित किया जायेगा। जिसका भुगतान अनुबंध के जारी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च के पूर्व जमा करना होगा, अन्यथा आगामी वित्तीय वर्षों हेतु अनुबंध निरस्त माना जावेगा।

5. आवेदक द्वारा अनुबंध के प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जैवसंसाधनों के संग्रहण का वास्तविक वार्षिक विवरण परिशिष्ट-3 (प्रमाणित दस्तावेजों सहित) एवं परिशिष्ट-4 (शपथ पत्र) अनुबंध के आगामी वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर, तक प्रस्तुत करना होगा। जिसके परिप्रेक्ष्य में अनुबंध के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की लाभ प्रभाजन राशि का समायोजन अनुबंध के आगामी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च, के पूर्व किया जायेगा।
6. आवेदक द्वारा जैवसंसाधनों का क्रय वैध तरीके से किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि व्यापार अवैध तरीके से किया गया है तो जारी प्रमाण पत्र निरस्त किया जावेगा एवं जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधान अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
7. मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम 2004 के नियम 18 एवं 19 के तहत यदि संबंधित व्यापारी के द्वारा जैवसंसाधनों की प्राप्ति से जैवविविधता संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने अथवा संवहनीय न होने की स्थिति में अनुबंध को पुनरीक्षित अथवा निरस्त किया जावेगा।
8. यदि उपरोक्त वर्णित जैवसंसाधनों में से कोई जैवसंसाधन म.प्र. वन उपज (जैव विविधता का संरक्षण एवं पोषणीय कटाई) नियम 2005 के अंतर्गत वनमण्डलाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र में निषिद्ध की जाती है तो यह अनुमति उस जैव संसाधन के संदर्भ निषिद्ध अवधि के लिए **अमान्य और शून्य (Null & Void)** मानी जायेगी।
9. अनुबंध/प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन पर म.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड, द्वारा प्रदत्त अनुमति/अनुज्ञा को निरस्त करने के साथ-साथ जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा-56, 57 के अधीन दंडिक कार्यवाही की जावेगी।

(सील एवं हस्ताक्षर)

वनमण्डलाधिकारी व पदेन सहायक सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

क्षेत्रीय वनमण्डल.....

दिनांक .....

पृष्ठांकन क्रमांक/जैवि. प्रकोष्ठ/वि.व...../  
प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड, 26, किसान भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011
2. मुख्य वनसंरक्षक, व पदेन संयुक्त सदस्य सचिव, म0प्र0 राज्य जैवविविधता बोर्ड वनवृत्त .....  
जिला - ..... (म.प्र.)
3. सभी संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी...../उपवनमंडलाधिकारी.....क्षेत्रीय वनमंडल .....जिला  
.....(म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सील एवं हस्ताक्षर)

वनमंडलाधिकारी व पदेन

सहायक सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

क्षेत्रीय वनमण्डल.....



क्रमांक / जैवविविधता प्रकोष्ठ / वि.वर्ष..... /

दिनांक .....

अनुबंध के द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ / पंचम वित्तीय वर्ष.....की लाभ प्रभाजन की राशि के भुगतान प्राप्ति की रसीद

प्रति,

.....  
 .....  
 .....

विषय: जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष प्रथम हेतु वाणिज्यिक उद्देश्य से उदभूत लाभों के फायदा बंटान की भुगतान राशि बावत्।

संदर्भ: 1. वित्तीय वर्ष ..... हेतु आवेदक द्वारा परिशिष्ट-1 टी में जानकारी दिनांक.....कार्यालय आवक क्रमांक ..... दिनांक .....

2. आपके द्वारा वर्ष ..... के लिये हस्ताक्षरित अनुबंध (MOU) दि. ....

अभिस्वीकृति क्रमांक – MPSBB/BABSC/-----/-----/-----.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित कार्यवाही उपरान्त आपके द्वारा वित्तीय वर्ष ..... के लिए समायोजन उपरांत (ए.बी.एस.) लाभ प्रभाजन की राशि बोर्ड को प्रस्तुत की गई है। उक्त राशि सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल के नाम से आर.टी.जी.एस./डीडी/क्रमांक .....दिनांक .....बैंक एवं शाखा का नाम ..... राशि रु. .... राशि (..... मात्र) के माध्यम से बोर्ड की जैवविविधता निधि को प्राप्त हुई है।

(सील एवं हस्ताक्षर)  
 वनमण्डलाधिकारी व पदेन सहायक सदस्य सचिव  
 म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड  
 क्षेत्रीय वनमण्डल.....

क्रमांक/जैवविविधता प्रकोष्ठ/

दिनांक .....

अनुबंध के प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम.....वित्तीय वर्ष.....की लाभ प्रभाजन की अन्तर राशि का समायोजन

प्रति,

.....  
.....  
.....

विषय: जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम वित्तीय वर्ष..... हेतु वाणिज्यिक उद्देश्य से उद्भूत लाभों के फायदा बंटान की अन्तर राशि भुगतान बावत्।

संदर्भ:- 1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक.....  
2. फायदा बंटान का करार (MOU) क्र. .... दि. ....

**अभिस्वीकृति क्र. MPSBB/BABSC/Division Code/Financial Year/ Sr.No दिनांक .....**

उपरोक्त विषयांतर्गत सदरित लाभ प्रभाजन अनुबंध (MOU) के क्रम में आपके द्वारा वित्तीय वर्ष ..... की समाप्ति पर अनुबंध की शर्त (कण्डिका 8.2) के अनुसार जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग की वास्तविक मात्रा (निर्धारित परिशिष्ट-3 में) इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त घोषणा अनुसार वित्तीय वर्ष ..... हेतु जैवसंसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग की वास्तविक मात्रा निम्नानुसार है-

जैवसंसाधनों का नाम	संग्रहण बावत अनुज्ञेय मात्रा (कि.ग्रा.)	वित्तीय वर्ष... में अग्रिम अनुमानित भुगतान की गई ए.बी. एस. राशि रु	वित्तीय वर्ष ..... में संग्रहण की वास्तविक मात्रा (कि.ग्रा.)	जैवसंसाधन की प्रति किलोग्राम वास्तविक दर (रु/प्रति किलो)	जैव संसाधन का वास्तविक कुल क्रय मूल्य (राशि रु.)	देय ए.बी.एस. राशि रु. (वास्तविक जैव संसाधन के क्रय मूल्य का 1 प्रतिशत की दर से)	समायोजन उपरान्त देय एबीएस राशि {बिन्दु 7 की राशि-बिन्दु 3 की राशि}	जैव संसाधनों का वर्तमान में बचा हुआ स्टॉक (किलो ग्राम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-

संलग्न अभिलेख अनुसार।

1. उक्त वित्तीय वर्ष की अंतिम गणना उपरान्त राशि रु. ....) आवेदक के आगामी वित्तीय वर्ष में ए.बी.एस. गणना राशि में समायोजन हेतु मान्य होगी।

या

उक्त वित्तीय वर्ष अंतिम गणना उपरान्त राशि रु.....आवेदक द्वारा इस कार्यालय को आरटीजीएस/डीडी/चैक/क्रमांक/दिनांक .....के माध्यम से देय की गई।

2. यह कि उपरोक्त वित्तीय वर्ष ..... में जैवसंसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग से संबंधित जानकारी (प्रस्तुत दस्तावेजों की छायाप्रति) आपके स्वयं के सत्यापन के आधार पर स्वीकार की गई है जिसकी प्रमाणिकता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

3. आपके द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर क्रय जैवसंसाधनों का वित्तीय वर्ष के अंत में बचा हुआ स्टॉक (..... जैवसंसाधन एवं मात्रा .....) जिसका विक्रय नहीं किया गया है, अनुबंध के आगामी वित्तीय वर्ष में विक्रय की अनुज्ञा होगी।

4. म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल एवं संबंधित प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा चाही गई जानकारी आपके द्वारा तत्परता से उपलब्ध कराई जावेगी।

5. यह कि उपरोक्त सहमति के पश्चात् किसी विवाद की स्थिति में प्रकरण सदस्य सचिव को संदर्भित किया जावेगा, जिसका निर्णय आवेदक को मान्य होगा।

(सील एवं हस्ताक्षर)  
वनमण्डलाधिकारी व पदेन सहायक सदस्य सचिव  
मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड  
क्षेत्रीय वनमण्डल.....

पृष्ठांकन क्रमांक/जैवविविधता प्रकोष्ठ/वित्ती वर्ष.../

दिनांक .....

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) व पदेन संयुक्त सदस्य सचिव म.प्र. राज्य जैबिवो. वनवृत्त .....जिला .....
2. वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) व पदेन सहायक सदस्य सचिव म.प्र. राज्य जैबिवो. वन मण्डल ..... जिला .....  
...की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(सील एवं हस्ताक्षर)  
वनमण्डलाधिकारी व पदेन सहायक सदस्य सचिव  
मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड  
क्षेत्रीय वनमण्डल.....

क्रमांक/जैवविविधता प्रकोष्ठ/वि.वर्ष...../

दिनांक .....

अनुबंध के प्रथम वित्तीय वर्ष.....की लाभ प्रभाजन की अन्तर राशि के भुगतान  
रसीद

प्राप्ति की

प्रति,

.....  
.....  
.....

विषय:- जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष द्वितीय हेतु वाणिज्यिक उद्देश्य से उदभूत लाभों के फायदा बंटान की भुगतान राशि बावत्।

संदर्भ:-

1. वित्तीय वर्ष .....हेतु आवेदक द्वारा परिशिष्ट-3 में जानकारी दिनांक.....कार्यालय आवक क्रमांक .....  
..... दिनांक .....
2. आपके द्वारा वर्ष ..... के लिये हस्ताक्षरित अनुबंध (MOU) दि. ....

**अभिस्वीकृति क्रमांक MPSBB/BABSC/Division Code/Financial Year/ Sr.No दिनांक .....**

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित कार्यवाही उपरान्त आपके द्वारा वित्तीय वर्ष ..... के लिए समायोजन उपरांत (ए.बी.एस.) लाभ प्रभाजन की राशि बोर्ड को प्रस्तुत की गई है। उक्त राशि सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल के नाम से आर.टी.जी.एस./डीडी/क्र. -----दिनांक .....बैंक एवं शाखा का नाम ..... राशि रु. .... राशि (..... मात्र) के माध्यम से बोर्ड की जैवविविधता निधि को प्राप्त हुई है।

(सील एवं हस्ताक्षर)

वनमंडलाधिकारी व पदेन सहायक सदस्य सचिव  
मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड  
क्षेत्रीय वनमंडल.....

**प्ररूप 1—जैवसंसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए  
जैव सर्वेक्षण अथवा जैव उपयोगिता हेतु जैव संसाधनों तक प्राप्ति/पहुंच**

**(वित्तीय वर्ष.....से ..... हेतु)**

{जैवविविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) (जो इसमें इसके पश्चात "अधिनियम" के नाम से निर्दिष्ट है) जैवविविधता नियम, 2004 (जो इसमें इसके पश्चात "केन्द्रीय नियम" के नाम से निर्दिष्ट है)। मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता नियम, 2004 (जो इसमें इसके पश्चात "मध्यप्रदेश नियम" के नाम से निर्दिष्ट है) और जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014 (जो इसमें इसके पश्चात "दिशा निर्देश 2014" के नाम से निर्दिष्ट है) के अंतर्गत}

यह अनुबंध आज दिनांक ..... को निम्नलिखित के मध्य संबंधित वन मण्डल..... (मध्यप्रदेश) में निष्पादित किया गया—

**किसी व्यक्ति की दशा में—**

(....., जो कि भारत के नागरिक है, निवासी .....

.....(जो इसमें इसके पश्चात "आवेदक" के नाम से निर्दिष्ट है), अथवा कोई प्राधिकृत व्यक्ति। (परिशिष्ट-1)

**अथवा**

**किसी निगमित निकाय, संगम, संगठन की दशा में—**

..... जिसका भारत में पंजीयन/निगमित कार्यालय ..... जिला— .....में है, द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (.....) जिसे कि आवेदक द्वारा यह अनुबंध निष्पादित करने हेतु विधिवत प्राधिकृत किया गया है। (परिशिष्ट-1)

**तथा**

मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 38 दिनांक 21.09.2018 के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रम-आर-1868-957-2018-दस-2 दिनांक 12.09.2018 के पश्चात मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता नियम, 2004 के नियम-17 के उपनियम-4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, जैवसंसाधनों तक पहुँच के लिए लाभ प्रभाजन (अनुमोदन प्रदान करने) हेतु व्यापारियों के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित करने हेतु वन संरक्षक/वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। जिसके तहत वन मण्डलाधिकारी (क्षे.) व पदेन सहायक सदस्य सचिव, म.प्र.रा.जै.वि. बोर्ड द्वारा हस्ताक्षर एवं प्रतिनिधित्व करने के लिए वन मण्डलाधिकारी.....प्राधिकृत हूँ।

इसमें इसके पश्चात आवेदक एवं कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (क्षे.) व पदेन सहायक सदस्य सचिव, म.प्र.रा.जै.वि. बोर्ड क्षे. वन मण्डल.....जिला.....संयुक्त रूप से "पक्षकारगण" तथा किसी व्यक्ति के संदर्भ में "पक्षकार" के नाम से निर्दिष्ट होंगे।

यतः कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (क्षे.) व पदेन सहायक सदस्य सचिव, म.प्र.रा.जै.वि.बोर्ड क्षे. वन मण्डल.....जिला.....को इसमें उपवर्णित प्रयोजनों हेतु अनुमोदन प्रदान करने तथा जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग तथा सहयुक्त ज्ञान एवं प्रथाओं से उद्भूत लाभों के ऋजु एवं साम्यपूर्ण बंटवारे के लिये नियम एवं शर्तें सुनिश्चित करने के लिए विधिवत प्राधिकृत किया गया है;

और यतः आवेदक के द्वारा "मध्यप्रदेश नियम" के नियम-17 के उपनियम (1) के अधीन परिशिष्ट-2 में यथा अपेक्षित जानकारी के साथ जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग हेतु जैव संसाधनों तथा उनसे संबंधित ज्ञान तथा पहुँच/उनका संग्रहण करने के लिए अनुमति हेतु प्ररूप-1 में आवेदन प्रस्तुत किया गया है;

और यतः अधिनियम के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश नियम एवं दिशा निर्देश, 2014 के अधीन अनुमति, पक्षकारों के मध्य सम्यक् रूप से निष्पादित लिखित अनुबंध (जो इसमें इसके पश्चात् "अनुबंध" के नाम से निर्दिष्ट है) के रूप में होगी। इस अनुबंध का निष्पादन राज्य में प्रचलित शुल्क के अनुसार गैर न्यायिक स्टाम्प पर किया जाएगा।

और तदनुसार "पक्षकारगण" के मध्य पहुँच तथा फायदा बंटाने हेतु यह अनुबंध निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन रहते हुए मान्य होगा, अर्थात्—'पक्षकारगण' एतद्द्वारा निम्नानुसार सहमत हैं:—

### 1. परिभाषा —

इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए प्रभावी दिनांक से वह दिनांक अभिप्रेत है जिसको कि दोनों पक्षकार अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। उस दशा में जब कि पक्षकार अलग-अलग दिनाकों को हस्ताक्षर करते हैं, तो अनुबंध उस दिनांक से प्रभावी होगा जिसको कि इस कार्यालय द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएं।

### 2. अनुबंध का आशय —

इस अनुबंध का आशय जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए पहुँच अथवा वाणिज्यिक उपयोग हेतु जैव सर्वेक्षण एवं जैव उपयोगिता की पहुँच को अनुमति देते हुए लाभ प्रभाजन सुनिश्चित करना है। इस कार्यालय द्वारा इस अनुबंध की कंडिका-4 के अंतर्गत जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग हेतु पहुँच को अनुमति प्रदान करते हुए लाभ प्रभाजन का निर्धारण किया जाएगा जो कि इस अनुबंध के रूप में इस कार्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एवं आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। यह अनुबंध मुख्य रूप से जैवविविधता के संरक्षण एवं संवहनीय उपयोग में योगदान तथा जैव संसाधनों की पहुँच से उद्भूत लाभों का साम्यापूर्ण प्रभाजन निश्चित करता है।

### 3. अनुबंध के नियम एवं शर्तें —

#### 3.1. क्षेत्र एवं विस्तार —

यह अनुमति उस सीमा तक तथा उस प्रयोजन तक ही सीमित होगी जिस पर कि सहमति हुई है।

#### 3.2. अवधि —

##### 3.2.1 अनुबंध की अवधि —

यह अनुबंध, अनुबंध की प्रभावी दिनांक से पांच वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लागू रहेगा परन्तु किसी भी दशा में अनुबंध की अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

##### 3.2.2 पहुँच/संग्रहण की अवधि —

आवेदक को अनुमति दिए गए यथावर्णित जैव संसाधनों तक पहुँच/संग्रहण की अनुमति प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुमानित जैवसंसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग की जानकारी उपरांत 1 अप्रैल से 31 मार्च प्रदान की जावेगी।

##### 3.2.3 पहुँच एवं संग्रहण की मात्रा —

आवेदक को जैव संसाधनों तक पहुँच के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा निश्चित की गई मात्रा एवं गुणवत्ता के मानकों का पालन करना होगा।

#### 3.3. पहुँच/संग्रहण का प्रयोजन —

आवेदक द्वारा पहुँच/संग्रहण का घोषित (जैव संसाधनों का आशयित उपयोग) प्रयोजन जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के अंत तक वही रहेगा जैसा कि इस अनुबंध में घोषित किया गया हो।

#### 3.4. पहुँच/संग्रहण का तरीका —

अनुबंध के अस्तित्व में रहने की अवधि के दौरान लाभ प्रभाजन का तरीका वही रहेगा अथवा जैसा कि बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाए।

##### 3.4.1 उपरोक्त बात के होते हुए भी यह लाभ प्रभाजन अनुबंध तब तक लागू रहेगा जब तक कि आवेदक द्वारा इस अनुबंध में यथाअपेक्षित बाध्यताओं की पूर्ति नहीं कर दी जाती।

तथापि, लाभ प्रभाजन बाध्यताओं की बाबत, आवेदक, जब तक कि वह जैव संसाधनों की अनुमति प्राप्त मात्रा के उपयोग से आर्थिक लाभ प्राप्त करता रहेगा, इस अनुबंध के खण्ड 8 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार लाभ प्रभाजित करेगा।

#### 4. अनुमति का प्रदान किया जाना –

- 4.1. इस कार्यालय एतद्द्वारा, इस अनुबंध में वर्णित अन्य निबन्धनों और शर्तों के अधधीन रहते हुए व्यावसायिक उपयोग हेतु जैव संसाधनों की पहुँच और/अथवा सहयुक्त ज्ञान अथवा व्यावसायिक उद्देश्य हेतु जैव सर्वेक्षण एवं जैव उपयोगिता हेतु अनुमति प्रदान करता है। यह अनुमति इस कार्यालय द्वारा जैव संसाधनों की अनुमानित उपलब्धता के आधार पर तथा इस कार्यालय को इस बारे में यह आश्वस्त हो जाने के पश्चात ही दी जाएगी कि उल्लेखित जैव संसाधनों तक पहुँच अथवा संग्रहण अनुमोदित मात्रा तक ही किया जाएगा।
- 4.2. इस कार्यालय द्वारा वर्षाकाल की अवधि को अनुमति की अवधि से उपवर्जित रखा जा सकेगा तथा इस दौरान जैव संसाधनों की पहुँच/संग्रहण पर रोक लगाई जा सकेगी।

#### 5. आवेदक के दायित्व –

- 5.1. आवेदक इस अनुबंध की उचित और साम्यापूर्ण लाभ प्रभाजन से संबंधित कंडिका-8 में यथावर्णित लाभ बंटाएगा।
- 5.2. आवेदक, ऐसी किसी राशि का, यदि कोई हो, भी भुगतान करेगा जो कि जैव विविधता प्रबंधन समिति/समितियों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में जैव संसाधनों की अनुमोदित मात्रा तक पहुँच अथवा संग्रहण के लिए आरोपित की गई हो। यह राशि आवेदक द्वारा देय लाभ प्रभाजन की राशि के अतिरिक्त होगी।
- 5.3. आवेदक को प्रदान की गई अनुमति केवल उस प्रयोजन तक ही सीमित रहेगी जिसके लिए इस कार्यालय द्वारा ऐसी अनुमति प्रदान की गई है। आवेदक को, उन समस्त क्रियाकलापों के लिए जिनमें कि इस कार्यालय की अनुमति आवश्यक हो, पृथक से आवेदन करना होगा।
- 5.4. जैवसंसाधनों से संबंधित कोई ऐसा क्रियाकलाप अथवा उनका उपयोग जो कि इस अनुबंध के उपबंधों द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत न हो, अभिव्यक्त रूप से तब तक प्रतिषिद्ध समझा जाएगा जब तक कि ऐसे क्रियाकलाप अथवा उपयोग को अधिनियम के प्रावधानों से छूट प्राप्त न हो।
- 5.5. आवेदक इस बात पर सहमत है कि इस अनुबंध से इसके पक्षकारों के मध्य किसी भी रूप में अथवा किसी भी प्रयोजन के लिए कोई भागीदारी, संयुक्त उद्यम अथवा संयुक्त उपक्रम गठित नहीं होगा अथवा गठित नहीं माना जाएगा अथवा उन्हें भागीदारों अथवा एक दूसरे के अभिकर्ताओं के रूप में दायित्वाधीन नहीं बनाएगा। पक्षकारों के मध्य संबंध एक व्यक्ति/कम्पनी तथा एक वैधानिक प्राधिकरण का होगा अर्थात् यह कार्यालय जैव संसाधनों तक पहुँच को स्वीकृत/अस्वीकृत करने के लिए सक्षम होगा।
- 5.6. आवेदक यह वचन देता है कि वह अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति/कर्मचारी (जिसके पास सत्यापित पहचान प्रमाण पत्र हो) से भिन्न किसी भी व्यक्ति को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के सिवाय जैव संसाधनों तक पहुँच के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।
- 5.7. इस अनुबंध के अधीन दिए गए अनुमोदन; उन अनुमोदनों/अनुमतियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे जिन्हें कि आवेदक द्वारा जैव संसाधनों तक पहुँच के लिए किन्हीं अन्य प्राधिकारियों से लिया जाना आवश्यक हो। उस दशा में जहां कि आवेदक (परिशिष्ट-2) में वर्णित से भिन्न जैवसंसाधनों तक इस कार्यालय का अनुमोदन/अनुमति अभिप्राप्त किए बिना पहुंचता है/उनका संग्रहण करता है, तो यह इस अनुबंध का सारवान् भंग समझा जाएगा।
- 5.8. आवेदक के शेरर होल्डिंग अथवा प्रबंधन से सम्बंधित कोई/ऐसा सारवान् परिवर्तन होने की दशा में, जिससे आवेदक के नियंत्रण के स्वरूप में परिवर्तन होता हो जिसमें व्यापारिक इकाइयों का अंतरण, अधिग्रहण, विलयन, संविलयन अथवा किसी अन्य प्रकार की कार्पोरेट पुर्नसंरचना सम्मिलित है, इस कार्यालय को तत्काल सूचित करेगा तथा अन्य समस्त संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।  
जहां आवेदक कोई ऐसा निगमित निकाय, संगम अथवा संगठन बनाता है जो अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अंतर्गत आता है तो वह इस कार्यालय के साथ ही म.प्र.रा.जैव.बोर्ड, भोपाल एवं राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण को तत्काल उसकी सूचना देगा तथा अन्य समस्त संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
- 5.9. आवेदक, उन जैव संसाधनों की मात्रा तथा गुणवत्ता की विशिष्टियों के संबंध में, जिन तक वह पहुँच चाहता है, इस कार्यालय द्वारा निर्धारित सीमा का पालन करेगा। उस दशा में जहां कि

आवेदक आवेदन में वर्णित सीमा से अधिक जैवसंसाधन की मात्रा/क्रय मूल्य या नवीन जैवसंसाधन को प्राप्त करेगा अथवा जैवसंसाधनों के भौगोलिक प्राप्ति स्थल में परिवर्तन होता है जिसके आधार पर पूर्व में लाभ प्रभाजन की गणना की गई है, तब ऐसी स्थिति में आवेदक लिखित पूर्व सूचना देकर इस आशय का अतिरिक्त अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वास्तविक वाणिज्यिक उपयोग के आधार पर लाभ प्रभाजन की राशि की अंतिम गणना की जाएगी तथा अन्तर की राशि जमा की जाएगी।

- 5.10. आवेदक, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले संग्रहण संबंधी समस्त क्रियाकलापों को कम से कम करने के लिए समस्त प्रयास करेगा तथा पोषणीय दोहन के गैर विनाशकारी तरीकों को सुनिश्चित करेगा।
- 5.11. इस अनुबंध की किसी शर्त का भंग होने की दशा में आवेदक अधिनियम की धारा- 56 व 57 तथा अन्य भारतीय विधायनों में दी अन्य समस्त सुसंगत धाराओं के अधीन दण्डित किए जाने का दायी होगा तथा म.प्र.जै.वि.बो तथा लाभ का दावा करने वालों को उपगत नुकसान के अनुरूप प्रतिकर का, जैसा कि समुचित फोरम द्वारा विनिश्चित किया जाए भुगतान करने का भी उत्तरदायी होगा।
- 5.12. (केवल धनीय लाभों की दशा में लागू) आवेदक ऐसे समस्त सुसंगत दस्तावेज/अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ, जिनमें इलैक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी सम्मिलित है, अपने पास रखेगा जो आवेदक द्वारा यथास्थिति इस कार्यालय अथवा संबंधित लाभ का दावा करने वाले संबंधित के साथ साझा किए गए धनीय लाभों की साक्ष्य की पूर्ति करते हों। इन्हें समय समय पर यथा विनिर्दिष्ट रूप में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा और इन दस्तावेजों को इस अनुबंध की समाप्ति के पश्चात् कम से कम 3 वर्ष तक सुरक्षित रखना होगा।

#### और/अथवा

(केवल गैर धनीय लाभों की दशा में लागू)

आवेदक, अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ ऐसे समस्त सुसंगत दस्तावेज जिनमें इलैक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी सम्मिलित है, अपने पास रखेगा जो आवेदक द्वारा यथास्थिति इस कार्यालय अथवा संबंधित लाभ का दावा करने वालों के साथ शेयर किए गए गैर धनीय लाभों की साक्ष्य की पूर्ति करते हों, इनमें दस्तावेज, फोटोग्राफ, लाभ का दावा करने वालों के कथन, समाचार लेख इत्यादि सम्मिलित हैं। इन्हें समय समय पर यथाविनिर्दिष्ट रूप में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा और इन दस्तावेजों को इस अनुबंध की समाप्ति के पश्चात् कम से कम 3 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा।

- 5.13. आवेदक, जब कभी भी यह अपेक्षित किया जाए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने गोदाम के निरीक्षण के लिए एतद्द्वारा सहमति प्रदान करता है।
- 5.14. इस कार्यालय को इस अनुबंध के अधीन अनुमोदित क्रियाकलापों को स्वयं अथवा किसी समुचित एजेंसी के द्वारा, जैसा कि वह उचित समझे, विनियमित करने तथा निगरानी करने की शक्ति होगी।

#### 6. तृतीय पक्षकार को अथवा विधि के प्रवर्तन द्वारा हस्तांतरण –

इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त अधिकार तथा दिए गए अनुमोदन अनंतरणीय तथा गैर हस्तांतरणीय होंगे।

#### 7. प्रस्थिति प्रतिवेदन –

- 7.1. आवेदक प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के जून माह के इस कार्यालय द्वारा यथा विहित प्रारूप में (परिशिष्ट-3) एक परिस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। तथापि, यदि आवेदक इस अनुबंध को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए करता है तो उसे क्रमशः जनवरी और जून माह में परिस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- 7.2. जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग और/या उससे सहयुक्त जानकारी के संबंध में नियत समय के भीतर परिस्थिति प्रतिवेदन का प्रस्तुत न किया जाना, अनुबंध का भंग माना जाएगा।

#### 8. उचित और साम्यापूर्ण लाभ प्रभाजन –

- 8.1. आवेदक धनीय तथा गैर धनीय तरीकों से लाभ प्रभाजन करेगा।
- 8.2. वार्षिक धनीय लाभ प्रभाजन किया जाना –

इस अनुबंध की कालावधि के दौरान लाभ प्रभाजन की राशि उस दशा में जहां कि **क्रेता कोई व्यापारी है**, जैव संसाधनों के क्रय मूल्य का 1 प्रतिशत (विनियम-3 अनुसार या म.प्र.रा.जै.वि. बोर्ड द्वारा अनुमोदित की दर में जो कम हो) से अनुबंध के प्रथम वित्तीय वर्ष एवं आगामी वित्तीय



वर्षों हेतु होगी। अनुबंध के प्रथम वित्तीय वर्ष की लाभ प्रभाजन की संगणित राशि रु .....  
(शब्दों में ..... मात्र) गणना पत्रक इस अनुबंध के साथ संलग्न है।

व्यापारी द्वारा अनुबंध के द्वितीय एवं आगामी वित्तीय वर्षों हेतु जैवसंसाधनों के नाम, अनुमानित मात्रा एवं मूल्य का आकलन कर अनुबंध के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर तक इस कार्यालय में प्रेषित करना अनिवार्य होगा। प्राकलन के आधार पर निर्धारित लाभ प्रभाजन राशि (व्यापारी द्वारा जैव संसाधनों के क्रय मूल्य का 1 से 3 प्रतिशत/म.प्र.रा.जैवि.बोर्ड द्वारा अनुमोदित की दर में जो कम हो अनुबंध के प्रथम वित्तीय वर्ष में 31 मार्च के पूर्व देना अनिवार्य होगा अन्यथा आगामी वित्तीय वर्षों हेतु अनुबंध स्वतः निरस्त माना जायेगा।

8.3. आवेदक, इस कार्यालय को लाभ प्रभाजन के मद्दे आंकलित मूल्य की सम्पूर्ण राशि (उपरोक्त अनुसार) का, अनुबंध हस्ताक्षरित किए जाने वाले दिनांक को, सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल के नाम से देय बैंक ड्राफ्ट/चैक (राशि रु ..... (रु.....  
.....मात्र), डिमांड ड्राफ्ट/चैक नं. "....." दिनांक .....  
बैंक व शाखा का नाम (.....) के माध्यम से या ऑनलाइन हस्तांतरण क्र.....दिनांक.....राशि.....के माध्यम से अग्रिम भुगतान करेगा। इस कार्यालय द्वारा लाभ प्रभाजन की सम्पूर्ण राशि बोर्ड की राज्य जैवविविधता निधि में जमा हो जाने के उपरांत ही अनुबंध की हस्ताक्षरित प्रति सौंपी जायेगी।

8.4. आवेदक अनुबंध के प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जैवसंसाधनों के वास्तविक उपयोग का शपथ पत्र (परिशिष्ट-4) पर बताने को सहमत है। इस प्रकटीकरण के आधार पर कुल लाभ प्रभाजन की राशि की गणना जाएगी।

उस दशा में जहां कि, अनुबंध एक से अधिक वर्ष के लिए किया गया हो तो आवेदक लाभ प्रभाजन की राशि इस कार्यालय को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जमा करेगा। जैव संसाधनों के वास्तविक उपयोग की मात्रा के आधार पर आवेदक द्वारा भुगतान की गई लाभ प्रभाजन की राशि का पुनः प्रभाजन किया जाएगा।

8.5. यदि जैवसंसाधन की खेती की जा रही है तो आवेदक द्वारा जैव संसाधन उगाने वाले का जिससे वह प्राप्त किया जा रहा है, अभिलेख रखा जाएगा।

## 9. लिखित सूचना –

9.1. इस अनुबंध के अधीन कोई भी संसूचना जिसके अंतर्गत सूचनाओं की तामीली भी सम्मिलित है, लिखित में होगी और अभिस्वीकृति देय रजिस्टर्ड डाक द्वारा संसूचित की जाएगी। अथवा नीचे वर्णित पते पर ई-मेल अथवा फैंक्स द्वारा संसूचित किए जाएंगे।

वनमंडलाधिकारी (क्षे.) व पदेन सहायक सदस्य सचिव म.प्र.रा.जैवि.बोर्ड वनमंडल.....जिला.....  
.....(म.प्र.).....पिन....., ईमेल आईडी.....सूचना दे दी गई समझी जाएगी, यदि

क. यदि हाथों हाथ देकर पावती प्राप्त की गई हो।

ख. यदि इलैक्ट्रॉनिक संप्रेषण से भेजी गई हो तो संप्रेषण के 48 घण्टे बाद जिसमें साप्ताहिक व सार्वजनिक अवकाश गणना में नहीं लिए जाएंगे।

9.2. सूचना दे दी गई समझी जाएगी यदि वह भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा संबंधित भारतीय विद्वानों के अनुसार दी गई है।

9.3. यदि किसी पक्षकार का पता/ई-मेल पता/ फैंक्स परिवर्तित होता है तो दूसरे पक्षकार को इस परिवर्तन से लिखित सम्प्रेषण द्वारा सूचित किया जाएगा।

## 10. भंग होने की दशा में शास्ति अधिरोपित करने की प्रक्रिया –

10.1. यदि इस कार्यालय के पास इस आशय की प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि आवेदक ने इस अनुबंध की कोई शर्त भंग की है तो वह व्यतिक्रम अथवा भंग के व्योरे संसूचित करते हुए आवेदक को लिखित सूचना भेजेगा।

10.2. आवेदक सूचना प्राप्ति से 7 दिन के भीतर इस कार्यालय को लिखित में उत्तर देगा।

- 10.3. आवेदक से ऐसा स्पष्टीकरण प्राप्त से जाने पर यह कार्यालय उस पर विचार करेगा और यह विनिश्चित करेगा कि आवेदक द्वारा अनुबंध का कोई उल्लंघन किया गया है अथवा नहीं। यदि नोटिस जारी किए जाने से तीस दिन के भीतर इस कार्यालय को आवेदक से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह कार्यालय मामले में एक पक्षीय आदेश पारित कर सकेगा।
- 10.4. एक पक्षीय आदेश की दशा में इस कार्यालय को अधिनियम धारा-55 की उपधारा (2) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति सम्मिलित है। इस आदेश के अतिरिक्त आवेदक इस कार्यालय, म.प्र.जै.वि.बो. अथवा लाभ का दावा करने वालों को हुए नुकसान के समानुपातिक ऐसे प्रतिकर का भी भुगतान करेगा जो कि समुचित फोरम द्वारा विनिश्चित किया जाए।
- 10.5. उपरोक्त खण्डों के अधीन इस कार्यालय द्वारा अधिरोपित की गई शक्तियाँ, इस अनुबंध के अधीन किन्हीं अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड द्वारा पारित निर्देशों अथवा आदेशों के अनुपालन में शोद्ध किसी धनीय लाभ की वसूली के अतिरिक्त होगी।

## 11. समाप्ति और प्रतिसंहरण –

- 11.1. इस कार्यालय की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी अवस्था में न तो यह अनुबंध और न इसके अधीन प्रदान की गई अनुमतियाँ आवेदक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को पूर्णतः अथवा अंशतः स्वेच्छा से अथवा अनिच्छा से आवेदक की ओर से अथवा अन्यथा किसी कार्य अथवा लोप द्वारा हस्तांतरित/उपप्रत्यायोजित नहीं की जाएंगी अथवा सौंपी नहीं जाएंगी। आवेदक द्वारा किसी ऐसे हस्तांतरण अथवा समनुदेशन के सम्बंध में इस कार्यालय से पूर्व लिखित अनुमति अभिप्राप्त करने में असफल रहना इस अनुबंध का तात्त्विक भंग समझा जाएगा और जिसके परिणाम स्वरूप अधिनियम के उल्लंघन के लिए आवेदक के विरुद्ध की जा सकने वाली किन्हीं अन्य कार्यवाहियों के साथ ही निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में अधिनियम की धारा-56 के उपबंधों की लागू किए जाने के अतिरिक्त बिना सूचना दिए अनुबंध तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा।
- 11.2. यह अनुबंध केवल आवेदक के लिए व्यक्तिगत है तथा व्यावसायिक इकाई के हस्तांतरण, विलयन अथवा संविलियन या किसी भी अन्य प्रकार के कार्पोरेट पुनर्संरचना की दशा में अनुबंध समाप्त माना जाएगा।
- 11.3. यह कार्यालय/म.प्र.जै.वि.बो. निम्नलिखित में से किसी भी दशा में लिखित सूचना देकर अनुबंध समाप्त कर सकेगा –
- क. यदि आवेदक दिवालिया हो गया और/या दिवालिया घोषित कर दिया गया हो अथवा जिसे कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के अधीन सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा व्यवसाय बंद करने का आदेश दिया गया हो। इस कार्यालय/म.प्र.जै.वि.बो. द्वारा आवेदक को लिखित सूचना देने पर अनुबंध की समाप्ति तत्काल प्रभावी हो जाएगी।
- ख. इस कार्यालय/म.प्र.जै.वि.बो. मध्यप्रदेश नियम के नियम 18 के उप नियम (1) में वर्णित किन्हीं परिस्थितियों में, आवेदक को प्रदान की गई पहुँच/अनुमोदन को प्रतिसंहत कर सकेगा यदि किसी शिकायत के आधार पर अथवा स्वप्रेरणा पर यह समाधान हो जाता है कि—
- (एक) उक्त जैव संसाधन तक पहुँच बनाने वाले आवेदक ने अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का अथवा उस शर्त का, जिसके आधार पर आवेदन स्वीकृत किया गया था, उल्लंघन किया है।
- (दो) आवेदक अनुबंध के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहा है।
- (तीन) आवेदक पहुँच की किसी भी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहा है।
- (चार) पर्यावरण संरक्षण तथा जैव विविधता संरक्षण, अधिकारों के संरक्षण, आजीविका एवं स्थानीय समुदायों के ज्ञान के संदर्भ में लोकहित का उल्लंघन किया है।
- 11.4. इस कार्यालय/म.प्र.जै.वि.बो. जैव संसाधनों तक पहुँच से संबंधित क्रियाकलापों को मध्यप्रदेश नियम के नियम 19 के उपनियम (1) में वर्णित कारणों से निर्बंधित या प्रतिषिद्ध कर सकेगा—
- (एक) पहुँच के लिए अनुरोध किसी संकटग्रस्त प्रजाति के लिए हो अथवा उस प्रजाति के लिए हो जो इस तरह की पहुँच से संकटग्रस्त हो सकती हो।
- (दो) पहुँच के लिए अनुरोध किसी स्थानिक अथवा दुर्लभ प्रजाति के लिए हो।
- (तीन) पहुँच के लिए अनुरोध का स्थानीयजनों की जीविका, संस्कृति अथवा ज्ञान पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।

- (चार) पहुँच के लिए अनुरोध का विपरीत पर्यावरणीय प्रभाव हो जिसे नियंत्रित एवं कम करना कठिन है।  
 (पांच) पहुँच के लिए अनुरोध से अनुवांशिक क्षरण होता हो अथवा पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव होता हो।  
 (छह) राष्ट्रीय हित तथा देश द्वारा किये गए अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के विपरीत उद्देश्य के लिए संसाधनों का प्रयोग।

11.5. इस अनुबंध के अस्तित्व में रहने के दौरान आवेदक को, इस कार्यालय/म.प्र.जै.वि.बो. को सूचना के रूप में विधिपूर्ण कारण दर्शाते हुए सूचना भेज कर अनुबंध समाप्त करने का विकल्प होगा। उक्त सूचना प्राप्त होने पर यह इस कार्यालय/म.प्र.जै.वि.बो. के विवेक पर निर्भर करेगा कि आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए कारण उसे स्वीकार्य है अथवा नहीं। अनुबंध समाप्त किए जाने की दशा में, इस विषयक निर्णय लिए जाने के 7 दिन के भीतर इस कार्यालय/बोर्ड द्वारा आवेदक को सूचित करेगा।

11.6. इस अनुबंध की समाप्ति पर आवेदक—

जैवसंसाधनों और/या उससे सहयुक्त ज्ञान का समस्त उपयोग तत्काल बन्द कर देगा।

समस्त शोध्य अधिशेष राशियों का जिनमें लाभ प्रभाजन राशि भी सम्मिलित है, का भुगतान करेगा और भुगतानों के संबंध में परिस्थिति प्रतिवेदन 15 दिन में प्रस्तुत करेगा।

11.7. इस कार्यालय/म.प्र.जै.वि.बो. पहुँच की अनुमति और/या इस खण्ड में विनिर्दिष्ट किसी भी आधार पर अनुबंध की समाप्ति से आवेदक को हुई किसी भी क्षति या नुकसानों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। अनुबंध की समाप्ति पर आवेदक इस कार्यालय/म.प्र.जै.वि.बोर्ड को तत्काल अंतिम परिस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा समस्त बकाया देय राशियों का भुगतान करने के लिए दायित्वाधीन होगा।

## 12. दायित्व और क्षतिपूर्ति —

12.1. इस कार्यालय/म.प्र.जै.वि.बो. पहुँच की अनुमति और/या किसी भी आधार पर इस अनुबंध की समाप्ति से आवेदक को हुई किसी भी क्षति या नुकसानी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

12.2. आवेदक, अनुबंध के क्रियान्वयन में किसी कार्य या लोप के लिए तृतीय पक्षकार द्वारा उद्भूत दावों के प्रति व्यक्तिगत रूप से (एक से अधिक आवेदकों की दशा में संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक) दायित्वाधीन होंगे और किसी भी परिस्थिति में इस कार्यालय/म.प्र.जै.वि.बो. उक्त के संबंध में दायित्वाधीन नहीं होगा।

12.3. आवेदक इस अनुबंध के खण्ड-9 के उल्लंघन की दशा में ऐसी राशि का, जो कि इस कार्यालय/म.प्र.जै.वि.बो. द्वारा अवधारित की जाए, भुगतान करेगा जो कि इस कार्यालय/म.प्र.जै.वि.बो. को कारित हुई क्षति अथवा लाभहित ग्राहियों को हुई क्षति के अनुरूप क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगी, जैसा कि समुचित फोरम द्वारा विनिश्चित किया जाए।

12.4. आवेदक, इस कार्यालय/म.प्र.जै.वि.बो. और उसके समस्त कर्मचारियों, सदस्यों और अधिकारियों को, उन समस्त दावों, मांगों, हानियों, नुकसानों, व्ययों (जिसमें अर्टानी की फीस सम्मिलित है) कार्यवाइयों, वादों अथवा अन्य कार्यवाहियों की पूर्णतः क्षतिपूर्ति करेगा और उनसे बचाएगा। जो इस अनुबंध के उपबंधों के अथवा इस अनुबंध के प्राधिकार के अधीन अथवा उसके आधार पर हाथ में लिए गए अथवा लिए जाने के लिए तात्पर्यित क्रिया कलापों के पालन में उद्भूत हुई हो, उनसे संबंधित हो, उनके कारण उत्पन्न हुई अथवा उन पर आरोप्य हो।

## 13. गोपनीयता —

पूर्व सूचना के रूप में दी गई कोई भी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी किन्तु ऐसी गोपनीय जानकारी इस कार्यालय/म.प्र.जै.वि.बो. द्वारा उस सीमा तक प्रकट की जा सकेगी जहा तक कि वह किसी विधि अथवा विनियम द्वारा अपेक्षित की जाए अथवा इस कार्यालय/म.प्र.जै.वि.बो. के मत में ऐसा प्रकटन किसी आपात परिस्थिति से निपटने अथवा राष्ट्रहित या जनहित में आवश्यक हो गया हो।

## 14. शासी विधि और क्षेत्राधिकार —

14.1. यह अनुबंध जैव विविधता अधिनियम एवं मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 के प्रावधानों के अनुसार शासित होगा और उसका तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

14.2. इस अनुबंध के वे अन्य समस्त पक्ष, जो कि इस अनुबंध के अंतर्गत न आते हो, सुसंगत भारतीय विधियों द्वारा शासित होंगे।

14.3. किसी भी विवाद की स्थिति में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

15. **पृथक्करणीयता –**

यदि इस अनुबंध का कोई भाग किसी भी कारण से विधि के किसी न्यायालय द्वारा अनुचित अथवा असंगत अथवा अवैध घोषित कर दिया जाता है अथवा ठहरा दिया जाता है तो उस भाग की कमी अथवा अवैधता शेष भाग की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी और वह पूर्ण विधिक बल तथा प्रभाव के साथ निरन्तर बना रहेगा और उसक यह अर्थ लगाया जाएगा कि उस अवैध भाग के बिना अनुबंध का निष्पादन किया गया था।

16. **संशोधन –**

अनुबंध में कोई भी संशोधन अथवा रूपान्तरण वैध अथवा पक्षकारों पर तब तक बाध्यकारी नहीं होगा, जब तक कि उस पर पक्षकारों की लिखित सहमति न हो और उस पर प्रत्येक पक्षकार की ओर से उसके सम्यक रूप से और विधिक रूप से प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर न कर दिये गए हो और ऐसा संशोधन, अनुबंध को लागू परिस्थितियों के साथ पूरक अनुबंध के रूप में किया जाएगा।

17. **अनुबंध की सम्पूर्णता–**

यह अनुबंध पूर्व के समस्त समझौतों, सहमतियों, अभ्यावेदनों तथा जिम्मेदारियों के समापन को वैधानिक स्वरूप प्रदान करता है तथा पक्षकारों के बीच अनुबंध की विषयवस्तु से संबंधित निबन्धन व शर्तों को पूर्णतः निर्धारित करता है।

18. **परिशिष्ट तथा अनुसूचियाँ–**

18.1. इस अनुबंध से संलग्न अनुसूचियाँ और उनके परिशिष्ट तथा वे अनुसूचियाँ जो इस अनुबंध के उपबंधों के अधीन संशोधन द्वारा बाद में जोड़ी जाए, इस अनुबंध के अविभाज्य अंग होंगी तथा सभी पक्षकारों पर बंधन कारी होंगी।

18.2. यह अनुबंध दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा। प्रत्येक प्रति मूल प्रति समझी जाएगी। एक प्रति इस कार्यालय द्वारा रखी जाएगी तथा दूसरी प्रति आवेदक द्वारा। दोनों ही प्रतिया एक ही लिखित समझी जाएंगी।

19. **जैवसंसाधनों तक पहुँच/संग्रहण का प्रमाण पत्र –**

सभी औपचारिकताओं के पूर्ण हो जाने पर यह कार्यालय आवेदक को जैव संसाधनों तक पहुँच/संग्रहण के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। (परिशिष्ट-5)

जिनकी साक्ष्य में इस अनुबंध के पक्षकारों द्वारा उपरोक्त वर्णित दिवस, माह तथा वर्ष में यह अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया–

वनमंडलाधिकारी (क्षे.), व पदेन सहायक सदस्य सचिव, म.प्र.रा.जैवि.बोर्ड क्षेत्रीय वनमंडल .....जिला..... (दिनांक सहित)	आवेदक के हस्ताक्षर (दिनांक सहित)
वनमंडलाधिकारी (क्षे.) व पदेन सहायक सदस्य सचिव, म.प्र.रा.जैवि.बोर्ड क्षे. वनमंडल . .....जिला.....की ओर से साक्षीगण – 1. हस्ताक्षर नाम पता 2. हस्ताक्षर नाम पता	आवेदक की ओर से साक्षीगण – 1. हस्ताक्षर नाम पता 2. हस्ताक्षर नाम पता

## परिशिष्ट

1. परिशिष्ट – 1 प्राधिकार पत्र/प्रमाण पत्र, किसी व्यक्ति की दशा में।  
या  
प्राधिकार पत्र/प्रमाण पत्र, निगमित निकाय, संगम तथा संगठन के मामले में ।
2. परिशिष्ट – 2 प्ररूप –1।
3. परिशिष्ट – 3 इस कार्यालय को आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले वार्षिक विवरण।
4. परिशिष्ट – 4 वास्तविक उपयोगिता हेतु शपथ पत्र।
5. परिशिष्ट – 5 जैव संसाधनों तक पहुंच/संग्रहण के लिए प्रमाण पत्र।

एक व्यक्ति की दशा में प्राधिकार पत्र/प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है मैं .....पिता श्री .....

..... आयु लगभग ..... वर्ष निवासी .....

..... (मध्यप्रदेश), अपनी पदीय हैसियत में इस समझौता ज्ञापन पर कार्यवाही करने तथा इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के संबंध में श्री .....पिता श्री .....

..... आयु लगभग ..... वर्ष निवासी .....

..... को समस्त औपचारिकताओं को, जो इस अनुबंध से उद्भूत हो, पूर्ण करने के लिये एतद्द्वारा प्राधिकृत करता हूँ।

स्थान :-

दिनांक :-

हस्ताक्षर

प्राधिकृत व्यक्ति नाम

पदनाम

हस्ताक्षर

प्राधिकर्ता का नाम

पदनाम

(सील)

(फर्म के प्रमाणित लेटर हेड पर)

निगमित निकाय, संगम, अथवा संगठन की दशा में प्राधिकार पत्र/प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि .....  
.....पिता श्री .....आयु लगभग ..... वर्ष, निवासी  
-.....जिला-.....(मध्यप्रदेश) को मैं ..  
..... (फर्म का नाम) की ओर से अनुबंध पर कार्यवाही, हस्ताक्षर तथा उन  
समस्त औपचारिकताओं को, जो इस अनुबंध से उद्भूत हो को पूर्ण करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया  
जाता है।

प्राधिकृत व्यक्ति के प्रमाणित हस्ताक्षर

स्थान:-

दिनांक :

हस्ताक्षर

प्राधिकृत व्यक्ति नाम

पदनाम

हस्ताक्षर

प्राधिकर्ता का नाम .....

पद .....

मै. ....

(फर्म का नाम)

(सील)

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (क्षे.) व पदेन सहायक सदस्य सचिव, म.प्र.रा.जैवि बोर्ड  
 क्षे. वन मण्डल .....जिला.....को आवेदक द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरण  
 (वित्तीय वर्ष.....हेतु)

प्रति,

वनमंडलाधिकारी (क्षे.),  
 व पदेन सहायक सदस्य सचिव,  
 म.प्र.रा.जैवि.बोर्ड  
 क्षेत्रीय वनमंडल .....जिला.....

विषय:—जैव संसाधन के संग्रहण का वार्षिक विवरण।

संदर्भ:— कार्या. वनमंडलाधिकारी (क्षे.) व पदेन सहायक सदस्य सचिव, म.प्र.रा.जैवि बोर्ड क्षे. वनमंडल .....  
 जिला..... द्वारा जारी आदेश क्रमांक .....दिनांक .....

क्र.	जैव संसाधनों का नाम	संग्रहण बावत अनुज्ञेय मात्रा (कि.ग्रा.) में	पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की भुगतान की गई रकम	संग्रहण की वास्तविक मात्रा (कि.ग्रा.) में	वास्तविक जैवसंसाधन के संग्रहण का क्य मूल्य (प्रति कि.ग्रा.) में	जैवविविधता प्रबंधन समिति का नाम/क्षेत्र/ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत का वर्णन जिससे जैवसंसाधन संग्रहण/क्य किया	जैव संसाधन या उत्पाद जिसे विक्रय किया गया का नाम पता एवं पहचान संबंधित संपूर्ण जानकारी	इस कार्या. द्वारा अधिक/कम अनुमति आदेश क्रं. एवं दिनांक का वर्णन	जैवविविधता प्रबंधन समिति को प्रदाय संग्रहण शुल्क यदि हो
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम.....

पता .....

मोबाईल नम्बर .....



वास्तविक उपयोगिता हेतु शपथ-पत्र

मैं, ....., आयु लगभग ....  
..... वर्ष, निवासी-..... जिला-  
..... (मध्यप्रदेश), शपथपूर्वक निम्न कथन करता हूँ कि:-

1. यह कि वित्तीय-वर्ष ..... में मेरे/फर्म द्वारा वाणिज्यिक उपयोग हेतु जैव संसाधन मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त किये जा रहे हैं।
2. यह कि हमारे द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत प्ररूप-1 में वर्णित जैव संसाधनों के वास्तविक उपयोग का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।
3. यह कि मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड को दिनांक ..... को प्रस्तुत प्रतिवेदन (जो कि प्ररूप-1 में परिशिष्ट है) के अंतर्गत सभी आवश्यक जानकारी है।
4. यह कि हम इसके अतिरिक्त वचन देते हैं कि, समय-समय पर मेरे/फर्म द्वारा अधिनियम की धारा-7 के उपबंधों के अधीन पूर्व सूचना दी जाएगी और आगामी प्रक्रम में आपसी अनुबंध अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

अतः मैं घोषणा करता हूँ कि, मैं अधिनियम के उपबंधों, दिशा निर्देशो एवं अन्य संबंधित विधानों से उत्पन्न अधिकार एवं दायित्वों की पूर्ति हेतु दायित्वाधीन रहूँगा।

स्थान:-

दिनांक :

.....

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

क्रमांक / जैवि. प्रकोष्ठ / वि.व..... /

दिनांक .....

**वाणिज्यिक उपयोग के लिये जैविक संसाधनों की पहुंच/प्राप्ति का  
प्रमाण पत्र  
(वित्तीय वर्ष .....हेतु.)**

प्रति,

.....  
.....  
.....

**विषय:-** म.प्र. जैवविविधता नियम, 2004 के नियम-17 के प्रावधान अनुसार जैवसंसाधनों तक पहुंच/प्राप्ति बावत्।

**संदर्भ:-** 1. आपका आवेदन दिनांक ..... कार्यालयीन आवक क्र. .... दिनांक .....

2. **अभिस्वीकृति क्र.** MPSBB/BABSC/Division Code---/Financial Year---/Sr.No-----दिनांक.....

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के क्रम में, इस कार्यालय द्वारा अनुबंध दिनांक ..... के अधीन वाणिज्यिक उपयोग हेतु निम्न जैव संसाधनों को प्राप्त करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है:-

क्र.	जैव संसाधन का नाम	मात्रा (किलो ग्राम) में	प्रस्तावित संग्रहण की भौगोलिक स्थिति	अवधि (महीनों का नाम)
1	2	3	4	5
1				जारी दिनांक से अनुबंध के प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ / पंचम वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक  * कृपया वित्तीय वर्ष अंकित करते हुए प्रमाण-पत्र जारी करें
2				
3				

आवेदक द्वारा वित्तीय वर्ष ..... हेतु लाभ प्रभाजन राशि रु. ..../- (राशि शब्दों में) का भुगतान ड्राफ्ट/चैक/आर.टी.जी.एस/ऑनलाइन हस्तांतरण (क्र..... दि.....के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी के पास)/आरटीजीएस के माध्यम से म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड के खाते में दिनांक..... को जमा किया गया है।

**कृपया निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करें :-**

1. जैवसंसाधनों की प्राप्ति हेतु अनुमोदित मात्रा वर्णित सीमा तक लागू होगी। यदि अनुमोदित मात्रा से अधिक मात्रा में जैव संसाधन का वाणिज्यिक उपयोग किया जाता है तो इस कार्यालय को लिखित सूचना देकर अतिरिक्त अनुज्ञा का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
2. आवेदक जैवसंसाधनों के क्रय हेतु प्राधिकृत व्यक्ति (नाम/पता/फोटो) का विवरण इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगा एवं सत्यापित परिचय पत्र प्राप्त करेगा।
3. यदि जैवविविधता प्रबंध समिति द्वारा संग्रहण शुल्क लिया जाता है तो निर्धारित दर अनुसार संग्रहण शुल्क के भुगतान उपरान्त ही आवेदक को क्षेत्र में जैवसंसाधनों तक पहुँच या संग्रहण की अनुमति होगी। जो कि लाभ प्रभाजन राशि के अतिरिक्त होगी।
4. आवेदक द्वारा अनुबंध के आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अनुमानित जैवसंसाधन की जानकारी निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट 1-टी में अनुबंध के जारी वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर, तक इस कार्यालय में प्रेषित करना होगी। कार्यालय द्वारा एबीएस राशि की गणना कर आवेदक को सूचित किया जायेगा। जिसका भुगतान अनुबंध के जारी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च के पूर्व जमा करना होगा, अन्यथा आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अनुबंध निरस्त माना जावेगा।

5. आवेदक द्वारा अनुबंध के प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जैवसंसाधनों के संग्रहण का वास्तविक वार्षिक विवरण परिशिष्ट-3 (प्रमाणित दस्तावेजों सहित) एवं परिशिष्ट-4 (शपथ पत्र) अनुबंध के आगामी वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर, तक प्रस्तुत करना होगा। जिसके परिप्रेक्ष्य में अनुबंध के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की लाभ प्रभाजन राशि का समायोजन अनुबंध के आगामी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च, के पूर्व किया जायेगा।
6. आवेदक द्वारा जैवसंसाधनों का क्रय वैध तरीके से किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि व्यापार अवैध तरीके से किया गया है तो जारी प्रमाण पत्र निरस्त किया जावेगा एवं जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधान अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
7. मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम 2004 के नियम 18 एवं 19 के तहत यदि संबंधित व्यापारी के द्वारा जैवसंसाधनों की प्राप्ति से जैवविविधता संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने अथवा संवहनीय न होने की स्थिति में अनुबंध को पुनरीक्षित अथवा निरस्त किया जावेगा।
8. यदि उपरोक्त वर्णित जैवसंसाधनों में से कोई जैवसंसाधन म.प्र. वन उपज (जैव विविधता का संरक्षण एवं पोषणीय कटाई) नियम 2005 के अंतर्गत वनमण्डलाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र में निषिद्ध की जाती है तो यह अनुमति उस जैव संसाधन के संदर्भ निषिद्ध अवधि के लिए **अमान्य और शून्य (Null & Void)** मानी जायेगी।
9. अनुबंध/प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन पर म.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड, द्वारा प्रदत्त अनुमति/अनुज्ञा को निरस्त करने के साथ-साथ जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा-56, 57 के अधीन दंडिक कार्यवाही की जावेगी।

(सील एवं हस्ताक्षर)  
वनमंडलाधिकारी व  
पदेन सहायक सदस्य सचिव  
म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड  
क्षेत्रीय वनमंडल.....  
दिनांक .....

पृष्ठांकन क्रमांक/जैवि. प्रकोष्ठ/वि.व...../  
प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, 26, किसान भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011
2. मुख्य वन संरक्षक, व पदेन संयुक्त सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड वनवृत्त .....  
जिला - ..... (म.प्र.)
3. सभी संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी...../उपवनमंडलाधिकारी.....क्षेत्रीय वनमंडल .....जिला  
..... (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सील एवं हस्ताक्षर)  
वनमंडलाधिकारी व  
पदेन सहायक सदस्य सचिव  
म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड  
क्षेत्रीय वनमंडल.....